जन सुनवाई का कार्यवाही विवरण

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित **चूना–पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर– PSB02, प्रस्तावित क्षेत्र– 4.8122 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ–0.125 मिलियन टीपीए, निकट गांव– हरीमा, तहसील– नागौर, जिला– नागौर (राज.) में स्थित है, चूना पत्थर खनन** की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई जिला कलेक्टर, नागौर के प्रतिनिधि श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर की अध्यक्षता में एवं श्री राजकुमार मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर की उपस्थिति में **राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हरीमा, तहसील– नागौर, जिला नागौर में दिनांक 05/02/2026 को दोपहर 12:00 बजे** आयोजित की गई।

जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियो का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट "अ"** पर संलग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति समाचार पत्र **"दैनिक भास्कर" एवं "राजस्थान पत्रिका" में दिनांक "01/01/2026"** को प्रकाशित करवाई गई थी, जिनकी प्रतियाँ **परिशिष्ट "ब"** पर सलंग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर ने सभी आगुन्तकों का स्वागत करते हुए अवगत करवाया कि उक्त जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, नागौर द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें जिला कलेक्टर महोदय की तरफ से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उक्त जन सुनवाई की सूचना दो समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व दी जा चुकी है। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को बताया गया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उपस्थित आमजन खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति या सुझाव दर्ज करवा सकते है। उक्त जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। जनसुनवाई विडियोग्राफी एवं दिये गये आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) को प्रेषित कर दिये जायेंगे। इसके पश्चात अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु **मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड** के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **मैसर्स रीजिंग ग्रीनलॉजिक प्राईवेट लिमिटेड** को आंमत्रित किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **मैसर्स रीजिंग ग्रीनलॉजिक प्राईवेट लिमिटेड** के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त खनन परियोजना **निकट गांव– हरीमा, तहसील– नागौर, जिला– नागौर (राज.)** में खनिज– **चूना–पत्थर खनन** हेतु प्रस्तावित है, जिसका **ब्लॉक नंबर– PSB02, प्रस्तावित क्षेत्र– 4.8122 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ–0.125 मिलियन टीपीए, निकट गांव– हरीमा, तहसील– नागौर, जिला– नागौर (राज.) में स्थित है, चूना पत्थर खनन** परियोजना है। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारें में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

खननं इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया।

सर्वप्रथम जितेन्द्र, ग्राम हरीमा ने कहा कि मेरा प्रश्न कम्पनी के लिए ना होकर एडीएम महोदय के लिए है कि आप इस क्षेत्र में तीन–चार जन सुनवाई मीटिंग अंबुजा, जे.एस.डब्ल्यू. एवं श्री सीमेंट के लिए अटेंड कर चुके है, सबके लिए हम गांव वाले स्वीकृति देते है, परन्तु आप खुद देखें तो हमें कम्पनियों से कुछ भी फायदा नहीं हुआ, ना ही सीएसआर में और ना ही किसी अन्य गतिविधि में, ना ही रोजगार के सम्बन्ध में, ऐसा कोई भी काम नहीं है, जो पूरा हुआ हो। आप सभी कम्पनियों के लिए यहां आ चुके है, तो आप स्वयं देखे कि हमारा काम कहां हो रहा है? थोड़ा सा मानवता की ओर देखते हुए।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

एडीएम महोदय ने कहा कि जितेन्द्र जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। गांव के प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक से जो अपेक्षा की जाती है, उसी अनुरूप आपने प्रश्न किया है। जब तक हम लोग प्रश्न नहीं करेंगे, जब तक अपने मन की पीड़ा व्यक्त नहीं करेंगे, तब तक युवा एवं जागरूक होने का अर्थ नहीं रहता। आपका बहुत धन्यवाद, कि आपने अच्छी बात रखी। पिछली एक साल में जितनी भी जनसुनवाई हुई है, उनकी स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है। जितनी भी कम्पनियां है, यह जब काम शुरू करते है, उससे पहले एवं जब तक काम चलता रहता है तब तक यह काम करते है, यह मेरा अब तक का अनुभव हैं। चुंकि इस एरिया में मुझे भी लगभग दो साल होने को आये है, जब भी कोई उचित मंच मिलता है, तो मैं यहीं कहता हूं कि बहुत सारी गतिविधियां होती है, चाहे वह माईनिंग हो, चाहे प्लांट हो आदि। तो वहां पर स्थानीय लोगों को जरूर योग्यता के अनुरूप काम मिले। अतः इस जनसुनवाई के माध्यम से भी मैं कम्पनी से यही अनुरोध करूंगा कि जब–जब आपको इस एरिया में योग्यता के अनुरूप लोग मिले, उन्हें आप काम देवें। बहुत सारी कम्पनियां आ रही है, या तो आप सब मिल कर या फिर हर कम्पनी आई.टी. आई, या पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा आप चालू करवा सकते है, जिससे योग्यता में और निखार आये तथा स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। यह मैं कम्पनी से अनुरोध करता हूं एवं मैं स्वयं भी इसके लिए प्रयासरत हूं।

जितेन्द्र, ग्राम हरीमा ने कहा कि जब जॉब की बात करें तो हर घर सक्षम नहीं है कि वह अपने बच्चों को पढ़ा सके। कुछ तो पढ़े–लिखें नहीं भी होंगे। कुछ ऐसे भी जो आईटीआई, इंजिनियरिंग, आईआईटी किये हुवे नहीं है।

एडीएम महोदय ने कहा कि यहां आईआईटी की बात नहीं है, आईटीआई की बात है। कम्पनी प्रतिनिधि बताये कि आपके नागौर में ट्रैंनिंग का इंस्टीट्यूड है, उसमें क्या--क्या ट्रैनिंग करवाते है, क्या ऑन पैमेंट करवाते है, क्या निशुल्क करवाते है एवं क्या सुविधा देते है तथा वहां पर युवा लोगों को कैसे फायदा मिल सकता है।

श्री प्रशांत रंगा, सीएसआर, अंबुजा ने कहा कि माली समाज भवन, नागौर में एक स्कील डवलपमेंट सेंटर संचालित है, जिसमें करीब 5 हजार युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ने में मदद की है। हमारे यहां कुल 7 तरीके की ट्रैनिंग चलती है, इलेक्ट्रीशियन, होटल मैनेजमेंट, बैंकिंग फाईनेंस, टेली, ब्यूटी पार्लर, रिटेल एवं सिक्योरिटी गार्ड की ट्रैनिंग चलती है। हमारे अमूमन कोर्स में एक हजार रूपये

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

फीस रहता है, लेकिन अगर कोई युवा हरीमा, सरासनी या फिर भी प्लांट के पास के गांवों से आता है तो उसे कोई फीस देने की जरूरत नहीं पड़ती, वह पूरा कोर्स फ्री होता है।

जितेन्द्र, ग्राम हरीमा ने कहा कि आपकी बात सही है एवं इसके बारें में मुझे जानकारी है परन्तु हमारा जो यह ईलाका है, वह गांव का ईलाका है। शहर के अन्दर 80 प्रतिशत लोग पढ़े–लिखे होते है, 20 प्रतिशत नहीं होते है, लेकिन गांव में 80: वह होंगे, जो पढ़े–लिखे नहीं है। मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि जो पढ़े–लिखे नहीं है, जो मजदूरी कर सकते हैं, उनके लिए आपके कंपनी के अंदर जॉब क्या हो सकती है। जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए तो जॉब होगी, आप कोचिंग भी करवा रहे हैं, तैयारी भी करवा रहे हैं, किसी को सिक्योरिटी गार्ड की करवा रहे हैं, वह लग सकते हैं, लेकिन बेचारा जो पढ़ नहीं सका, उसके लिए क्या करें?

एडीएम महोदय ने कहां कि हमने आपके बिंदु सुन लिए हैं यह मेरे लिए भी एक नई और अनोखी बात है कुछ कोर्स ऐसे भी डिजाइन किए जाएं।

श्री जितेंद्र, ग्राम हरीमा ने कहा कि आप इनसे कहें कि हस्ताक्षर न करवाए। जिसके प्रति उत्तर में **एडीएम महोदय** ने कहा कि हस्ताक्षर करवाने का उनकी ड्यूटी है इन्हें इनका काम करने दे। हमें ऐसे कोई कोर्स डिजाइन करने चाहिए जो अशिक्षित व्यक्ति भी कर सके, ऐसी प्लानिंग कंपनी को करनी चाहिए। इस पर कंपनी प्रतिनिधि अपनी बात रखें।

श्री प्रशांत रंगा, सीएसआर, अंबुजा सीमेंट ने कहा कि इसके संबंध में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ट्रेनिंग सेंटर में आठवीं पास के लिए भी बहुत कोर्स जैसे ब्यूटी पार्लर, दसवीं पास के लिए सिक्योरिटी गार्ड, इलेक्ट्रीशियन है तथा अब हम एक सर्वे करके न्यू डिजाइन कोर्स के ऊपर कार्य करेंगे।

श्री जितेंद्र, ग्राम हरीमा ने कहा कि जिस प्रकार आप नागौर के अंदर कोचिंग चला रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि यहां हर गांव में जैसे हरीमा, सरासनी, जिन गांवों में नहीं पता है, वहां एक ऐसा कैंप लगाए, जिससे सबको पता चले कि आप यह सब करवा रहे हैं। लोगों को मोटिवेट करें, अगर आप मोटिवेट नहीं करेंगे कि यह सब काम आप कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा। कंपनी आती हैं, जनसुनवाई करवाते हैं, स्वीकृत हो रही है अथवा नहीं हो रही है, लेकिन आपकी

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

मीटिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है लेकिन हम लोग को पता ही नहीं है इन चीजों के बारे में आप जानकारी दें।

श्री प्रशांत रंगा, सीएसआर, अंबुजा सीमेंट ने कहा कि हम जरूर इस प्रकार का अवेयरनेस कैंप जल्द ही लगाएंगे।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित ग्रामीणों से लिखित अथवा मौखिक अपने सुझाव अथवा शिकायत प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया।

श्री नरेन्द्र सिंह, ग्राम खेतोलाव ने कहा कि ग्राम खेतोलाव में अंबुजा सीमेंट का ब्लॉक आया हुआ है। कुछ मांगें गांव की तरफ से– माताजी मंदिर परिसर में सीसी ब्लॉक निर्माण, सार्वजनिक समाज भवन का निर्माण, आम गवाड़ से शमसान भूमि तक पक्की सड़क का निर्माण, शमसान भूमि की चारदिवारी का निर्माण, उप स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण, गांव के तालाब का गहरीकरण, सफाई एवंज ल संरक्षण हेतु पक्का कार्य, गांव के विद्यालय में मरम्मत कार्य, स्वच्छता व्यवस्था तथा बच्चों की मूलभूत सुविधाओं का विकास, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण, ग्राम पंचायत गगवाना तक पक्की सड़क का निर्माण एवं गांव के लागो को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना।

एडीएम महोदय ने कहां कि ग्राम खेतोलाव से काफी लोगों ने कुछ मांगे रखी है, हालांकि इन्होंने पढ़ कर बता दिया। एक समाज भवन का निर्माण चाहते है, शमसान तक पक्की सड़क चाहते है, शमसान भूमि एवं उसके विकास का काम चाहते है। बहुत सारें काम आपके सीएसआर के अन्दर आयेंगे। जब भी अवसर मिले इसे सीएसआर के अन्तर्गत प्लांन बनाये।

श्री पप्पू नाथ योगी ग्राम हरीमा ने कहा कि पिछले 20 वर्षो से पशु–पक्षियों के लिए पेड़–पौधे लगाने जैसे मेरे कार्य हैं एवं पत्रकारिता भी करता हूं। आज पर्यावरण स्वीकृति हेतु जो बैठक हो रही है, इसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री चंपालाल जी जीनगर, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण मंडल, अंबुजा कंपनी के पदाधिकारी एवं साथ ही बड़ी संख्या में रेवेन्यू बोर्ड के अधिकारी एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी तथा बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण भी यहां उपस्थित है, जो इस पर्यावरण स्वीकृति को लेकर बैठक हरीमा ग्राम में चल रही है, दो–तीन बैठकें पहले भी हुई थी, जिसके बारे में एडीएम महोदय ने बताया कि उनकी स्वीकृत अभी तक नहीं मिली है, वह सफल मीटिंग नहीं हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि कई मीटिंग्स

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

सफल भी हुई होगी, जैसे पास ही एक प्लांट है, जिसका काम भी चालू हो चुका है निर्माण कार्य, उसकी तो स्वीकृत हो चुकी होगी। हमारे ग्रामीण जो मांग पत्र लेकर आए हैं, इस मांग पत्र में मैं भी सहमत हूं, इन गांव की तरफ से एवं आगे भी हमारे गांव की जो मांगे हैं, उन पर विचार करें। हम ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, हम पढ़े लिखे भी हैं, कागज चलाना भी जानते हैं। परन्तु हम यही चाहते हैं कि हमारा, कंपनी का एवं अधिकारियों का मेल–मिलाप बना रहे एवं हमारा काम होता रहे। कंपनी काम भी करती है, जैसे अंबुजा सीमेंट का फाउंडेशन है, वह कई इलाकों में, गांवों में काम करता है, तो मुझे लगता है कि आपको यहां भी काम करना चाहिए, जैसा कि आपने दो दिन पहले यहां काम चालू किया है, इसको थोड़ा पहले कर देते तो हमारे गांव में एवं हमें संतुष्टि होती। आप जैसे ही मीटिंग हो, उससे ठीक पहले करते हो, तो हमें लगता है कि आप हमें बहकावे में ले रहे हैं। आपका काम है, आप पेड़ पौधे भी लगते हैं काफी जगह आपके पेड़ पूरी सक्सेस भी हो रहे हैं आपको कार्य करना चाहिए लेकिन ग्रामीणों की जो मुख्य मांगे हैं जैसे हॉस्पिटल की स्कूल की उन पर आपको विचार करना चाहिए। साथ ही साथ कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि थोड़ा हमसे जुड़ाव रखें, हमारी बातों पर थोड़ा गौर करें। हम आपको याद करेंगे आप अभी अधिकारी हैं तो आपका यह कर्तव्य भी बनता है आप हम लोगों का एवं कंपनी का तालमेल बैठाये रखें। इस गांव की जमीन जाएगी तो कम से कम इस गांव का तो विकास होना चाहिए, इसके साथ–साथ जो गांव की मांगे हैं जिसे पानी की समस्या है और भी ग्रामीण क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर थोड़ा ध्यान रखें एवं कंपनी से भी मैं कहूंगा कि आप काम करें एवं काम वो करें जो काम आए। कागजों में काम ना करके जिंदगी में काम आने वाला काम करें ऐसे कार्य आपको करनी चाहिए मुझे पूर्ण आशा नहीं अपितु विश्वास है, आप धरातल पर काम करोगे हम हमेशा आपके साथ रहेंगे एवं अन्य जो बातें हैं वह हमारें ग्रामीणों ने लिखित में दी।

एडीएम महोदय ने कम्पनी प्रतिनिधि से कहा कि आप पर्यावरण के लिए एवं ठोस कार्यों के लिए क्या करेंगे, उसके सम्बन्ध में जानकारी देवें।

श्री भंवरलाल ने कहा कि एक निवेदन है कि PSB02 चूना पत्थर ब्लॉक में हम गांव वालों को कैसे पता चलेगा किस जगह यह ब्लॉक है, इसलिए इनका खसरा नम्बर हमें बताये।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

एडीएम महोदय ने कहा कि यहां चारों तरफ ब्लॉक 01, 02, 06 एवं 07, सभी के खसरों की संख्या सूची लगाई गई है, फिर भी एक बार आपको पढ़ कर भी बताया जायेगा। कम्पनी प्रतिनिधि पेड़–पोधों के लिए, ठोस कामों के लिए एवं इस ब्लॉक के खसरें के बारे में जानकारी देवें।

श्री प्रशांत रंगा, सीएसआर, अंबुजा ने कहा कि पर्यावरण के सम्बन्ध में कम्पनी के दो बड़े एनिशिएटिव है, एक जल संरक्षण, जिसमें घरों में छत के पानी के लिए टांकों का निर्माण करते है, हरीमा व सरासनी में जरूरतमंद परिवारों के घर में पीने के पानी की व्यवस्था की है। दूसरा पेड–पौधें, इसमें हम जो पेड़ लगाते है तथा अभी कुछ सालों तक उन्हें पानी पिलाना एवं उन्हें विकसित करने की पूरी जिम्मेदारी रहेगी।

पर्यावरणीय सलाहकार ने कहा कि इस प्रस्तावित PSB02 ब्लॉक में कुल 12 खसरें आते है– 961/941, 1142/464, 464, 964/1, 456/911, 1004/455, 455, 1041/456, 467, 440, 456, 452।

श्री अभयसिंह राठौड़, ग्राम हरीमा ने कहा कि इस एरिया में 3–4 कम्पनियां आ चुकी हैं, इनके आने के बाद पर्यावरण के सम्बन्ध में, विकास कार्यों से सम्बन्धित एवं अन्य मुद्दों पर बातें तो खुब हो रही है। अंबुजा कम्पनी की दो साल पहले यहां पर्यावरण सम्बन्धित मीटिंग हुई, उसमें सभी लोगों ने गांव के सम्बन्ध में लिखित में दिया था तथा आपसे हस्ताक्षर करके भी लिया था, लेकिन आज तक विशेष तौर से तो विकास कार्य मे पहला काम कम्पनी सिवरेज लाईन का कर रही है, लेकिन इसके पहले आपने कितने पेड़ लगाये, कितने होद बनवाये, कितने चिकित्सा स्तर पर सुविधा देने की कोशिश की? कम्पनी का प्रतिशत निकालेंगे, तो यह जीरो के लगभग ही रहेगा। ऐसे ही जे.एस.डब्ल्यू. ने किया था, ऐसे कर रहे है, वैसे कर रहे है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी महोदय से निवेदन है कि आप इसका रिकॉर्ड तो ले कि तीन–चार साल में यह गांव के प्रति क्या करेंगे। कुछ समय में कम्पनियां शुरू हो जायेगी, हम पर्यावरण को कैसे सुधार सकते है, आज कि पॉजिशन तो यही है कि कुछ भी विकास नहीं हुआ है, कोई पेड़–पौधा नहीं लगा है। पिछली जन सुनवाई में मैनें निवेदन किया था कि आज जितने भी पौधें लगाये 400, 500, किसी एक प्रतिनिधि को नियुक्त करें, जो पानी पिला सके, उन्हें सुविधा दे सके। मेडिकल के बारें में हमने कहा था कि हम जगह देने के लिए तैयार है, जगह आज भी हम देने के लिए तैयार है, लेकिन

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

इसका समाधान ना तो जे.एस.डब्ल्यू. कर रही है, और ना ही अंबुजा कर रही है, ना ही दूसरी कोई कम्पनियां कर रही है। पर्यावरण सिस्टम का मामला है, इस मामले की शुरूआत तो करो कुछ, बाद में एक साथ ही सब शुरू हो जायेगी तो फिर हमारे सांस लेने की कैसी स्थिति रह जायेगी। कम्पनियों के आने के बाद हमारे क्षेत्र के युवा सक्षम है, योग्य है, लेकिन इनको कुछ भी काम नही दिया जा रहा है, क्यों काम नहीं दिया जा रहा है? बाहर के आदमियों को तो लगा रहे हो, लेकिन यहां के किसी आदमी को नहीं लगाते, और अगर किसी को लगा लिया तो उसके लिए ऐसी स्थिति पैदा कर देते हो कि उसे छोड़ना पड़ जाता हैं। कुछ गलती हमारी भी है, हमारे जैसे बड़े ठेकेदार एक साथ नहीं रहते, यह भी एक साथ रह कर अपने गांव का विकास करें, उनमें इतना कॉम्पीटिशन पैदा कर देते है कि उनको घाटा लग जाता है, वो काम ही नहीं कर सकते। हमारा गांव वालों से, ठेकेदारों से, काम करने वालों से विशेष निवेदन है कि आप एक साथ रहो। साथ ही कम्पनी से भी निवेदन है कि हमारे एरिया के आदमियों को काम देवें। हम आपके साथ मिलने को तैयार है, काम करने को तैयार है, विकास के लिए तैयार है, लेकिन इनके सिस्टम में कोई नहीं है, हमें तो काटा जा रहा है। इस अंग्रेजो वाली नीति को दूर करें, हम लोग आपके साथ है। अंबुजा ने सिवरेज का काम अब शुरू किया है, जो अच्छी बात है, हमने 20 काम लिख कर दिये थे, जिसमें पहला काम शुरू हुआ है। जे.एस. डब्ल्यू. ने सबसे बड़ा काम किया है कि हमारे मंदिर की जमीन को गांववालों को जमीन लेकर दे दी। इसके अलावा ना तो युवा सम्बन्धित कार्य किया, ना ही मेडिकल सम्बन्धित कार्य किया, ना ही शिक्षा सम्बन्धित कार्य किया। हमें साथ लेकर चलों, हमारी नई पीढ़ी की समस्या के बारें में सोच कर चलें। हमारे खेतो के लिए कटाण के रास्ते है, उन रास्तों को रोका जा रहा है। उसमें प्रशासन से बार–बार निवेदन कर रहे है कि यह रास्तें रोक देंगे, यह बहती धारा है, इसमें यह बोल देंगे कि इस रास्तें से निकलने नहीं देंगे, तो क्यों नहीं निकलने देंगे? आगे हमारे खेत तो है, वहां कैसे जायेंगे। अगर उस रास्तें से नहीं निकलने देंगे तो कौनसा रास्ता बनायेंगे। यहां आप हमारी बात सुन रहे है, हमें खुशी भी है कि आपके पास हमारी बात पहुंच गई, लेकिन इस बात पर प्रेक्टिकली सिस्टम होना चाहिए, अगर किसी के हाथ बंधे है तो क्यों बंधें है? हम सब एक साथ सभी काम रोक सकते है, परन्तु हम रोकना नहीं चाहते। हम भी विकास चाहते है, हमारी युवा पीढ़ी आगे काम करें। हमारा भी विकास हो। आप बता रहे हो कि हमने होद बनाये, तो हमें बताये कि कितने होद बनाये है? तीन साल हो गये है, तीनों कम्पनियों को यहां आये हुवें। प्रैक्टिकली कितने पेड़–पौधें लगाये। प्रशासनीक अधिकारियों से विशेष निवेदन है

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

कि आप इनका रिकॉर्ड ले, हम आपके साथ है, कम्पनी के भी साथ है, हमारे विचार बिल्कुल भी नैगेटिव नहीं है। निवेदन है कि आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर हमें बताये, आगे क्या करना है, यह भी बताये। रास्ते का मामला विशेष है, यह टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। हमें खेतों में नहीं जाने देंगे तो हम टकराव की स्थिति में आ जायेंगे, जो हम चाहते नहीं है। एक किसान को 8 हजार, एक किसान को 11 हजार, एक किसान को 50 लाख, एक को 27 लाख दे रहे हो। यह कौनसी नीति है, कुछ ना कुछ तो लिखित होना चाहिए कि एक को 11 दे दिये तो आगे भी इस हिसाब से दें। वो तो 11 में दिये उतने में बैचानी हो गयी, 25 एवं 1 करोड़ में बहुत फर्क होता है, किसान तो वहीं है, वहीं जमीन है, इन सब के लिए कुछ तो सिस्टम होना चाहिए। अपनी मनमर्जी से सबकुछ नहीं होने दे, आप हमारे प्रतिनिधि है, क्षेत्र के प्रतिनिधि है, हमें ऐसा आश्वासन दे कि हम उसमें संतुष्ट हो सके।

एडीएम महोदय ने कहा कि पिछली बार यहां अंबुजा की जो जन सुनवाई हुई थी, उसकी स्वीकृति अभी पैन्डिंग है, स्वीकृति होने के बाद जब काम चालू हो जायेगा, तब इनके काम में तेजी आयेगी, ऐसा मुझे अवगत करवाया गया। हर तीन महीने में उद्योग विभाग को मेम्बर सेक्रेटरी बना कर नागौर जिले की सभी कम्पनियों की रिपोर्ट लेते है, कि आप लोगों ने क्या–क्या काम किये है। सीएसआर में कितने पैसे खर्च किये एवं कितने ठोस काम करवाये है। इस पर हम लोग रिपोर्ट लेते है। जहां हमें लगता है कि इस कम्पनी ने इन तीन महीनों में काम नहीं किया है, हम उन्हें टोकते है। एक एसओपी जरूर बनायेंगे कि जो कम्पनी जहां फैक्ट्री लगाती है अथवा काम करती है, सीएसआर का ज्यादा उपयोग वहीं करें। इसी के साथ एक जे.एस.डब्ल्यू. को लेकर रास्तें का मामला जो सामने आया है, वह मामला मेरे ध्यान में आज ही आया है तो इस पर मैं जरूर कोई ना कोई समाधान करवाऊंगा।

श्री रामकुमार सोलंकी, ग्राम हरीमा ने कहा कि यह जो रास्ते का बता रहे है वह ज्यादा दूर ही नहीं है, अगर संभव हो तो अभी गाड़ी से चलकर देख लेते है। हमारी तरफ से केवल एक ही प्रतिनिधि चलेगा, साथ में कम्पनी के प्रतिनिधि एवं कलेक्टर साहब आप पधारें। मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि जब हम आपके पास कलेक्ट्रट ऑफिस आये थे तब आपने हम गांव वालों को विशेष बताया था कि आपको जन सुनवाई में जाना है, हम आपके कहने से ही जन सुनवाई में आये है। पिथासिया गांव में एक भी आदमी नहीं था। इसलिए आप वहां पहुंच कर देंखे इन किसानों का क्या हाल हो रखा है। जो माल 200 रूपये किराये में यहां

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

पहुंच सकता है, उसके लिए अब हजार रूपये देकर लाना पड़ता है। यहां से 1 किलोमीटर पर रास्ता बंद है, इसके लिए गाड़ी को वापस डेह जाकर यहां आना पड़ता है।

एडीएम महोदय ने श्री रामकुमार सोलंकी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि मेरी बात सुन कर आप जन सुनवाई में पधारे। इसके लिए केवल मैं ही नहीं, ये पूरा गांव आपका एहसानमंद रहेगा। मैं आप सभी ग्रामीणों से एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि जन सुनवाई बड़ा व्यापक शब्द है, जब भी कोई कम्पनी यह कहती है कि मुझे ईन्वेस्टमेंट करना है, डवलपमेंट करना है, तो पर्यावरण विभाग कहता है कि आप वहां पर जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे करोगे तथा वहां के लोगों को बताओं की आप क्या करोगे? तो आज आप सभी जो भी कह रहे है, इसका आने वाले तीन महीने, तीन साल या तेरह साल बाद भी रिकॉर्ड उठा कर देख सकते है। इस जन सुनवाई से बंधे सभी व्यक्ति को आप प्रश्न कर सकते है, वह भी साक्ष्य के साथ। जो मैं बोल रहा हूं इसकी भी रिकॉर्डिंग रहेगी, यह हमेशा रहेगी। इसलिए मैं हमेशा अनुरोध करता हूं कि जब भी जन सुनवाई हो अपनी कहों, आप कहोंगे तो आज, कल या परसों काम जरूर होगा। गांव के रास्तें की जो समस्या है उसका सोलंकी जी आपको साथ लेकर जरूर समाधान करेंगे।

श्री रामकुंवार सोलंकी, ग्राम हरीमा ने कहा कि नुकसान कैसे होता है, मैं बताता हूं, कम्पनी जो ब्लास्ट करती है, इनसे जितने भी पानी के होद है, सब टूट जाते है। मेरी ट्यूबवेल जो 180 फीट पर थी, वह भी पिचक गई थी एवं अभी 31 तारीख को जो ब्लास्ट किया गया, उससे 2 इंची पाईप भी पिचक गये। आपके प्रतिनिधि को मेरे साथ ले जाकर अभी दिखा सकता हूं। यह संभव है कि यहां कम्पनी लगने के बाद या तो हमें गांव छोड़ कर जाना पड़ेगा या मरना पड़ेगा। एडीएम महोदय आप एक बार गांव वाले होकर देखें। दोनों जगह 1–1 किलोमीटर पर है। आप नागौर जिले के माता–पिता है, आपके प्रतिनिधि के तौर पर किसी भी एक आदमी को भेज दीजिए, देख ले, विडियो बना कर ले आयेंगे। आप देखें क्या परिस्थिति है।

एडीएम महोदय ने श्री रामकुंवार सोलंकी से कहा कि मैं इन कैमरा वादा करता हूं कि मैं अथवा मेरा जिम्मेदार प्रतिनिधि आपके साथ जाकर यह दोनों जगह देखेंगे तथा कम्पनी प्रतिनिधि भी आज कल में ट्यबवेल का अवलोकन करेंगे।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

श्री रामकुंवार सोलंकी, ग्राम हरीमा ने कहा कि अगर आज ही देखें तो बहुत अच्छा रहेगा।

एडीएम महोदय ने कहा कि कैमरे के सामने कह रहा हूं।

श्री अभयसिंह राठौड़, ग्राम हरीमा ने कहा कि आज दो कार्यों को पर्यावरण स्वीकृति के रिकॉर्ड में लेवे। एक रास्तें का मामला एवं दूसरा जो यह ब्लास्टिंग हो रहा नुकसान का मामला। मकानों में भी सब में दरारें आ रही है, इसका क्या समाधान होगा।

एडीएम महोदय ने कहा कि आपकी दूसरी बात जो माईनिंग में सावधानी रखनी चाहिए, अगर सावधानी नहीं रखे तो क्या नुकसान होता है। यह मैं जरूर रिकॉर्ड में लूंगा। रास्तें का अलग मामला है, परन्तु वह भी मैं एक उचित स्तर पर लूंगा। यह पर्यावरण स्वीकृति की सुनवाई है तो हम इसके बारें मे बात करें एवं आपसे वादा करता हूं कि रास्तें का जल्द ही समाधान करवाऊंगा।

श्री अभयसिंह राठौड़, ग्राम हरीमा ने कहा कि एक और निवेदन है कि पर्यावरण स्वीकृति के नाम पर हम हस्ताक्षर करके दे रहे है, आप लोगों के साथ एवं आप लोगों के कहने से, लेकिन पर्यावरण में यह क्या–क्या करते है और कब करेंगे, और कितना किया है? इसके सम्बन्ध में एक बार पूरी डिटेल बताये।

श्री चेतन रावल, यूनिज हेड, अंबुजा सीमेंट ने कहा कि आप सभी ग्राम जन पधारे एवं दोनों ब्लॉक्स के बारें में अच्छे सुझाव दिये। मैं आप सबको बताया चाहूंगा कि अंबुजा सीमेंट की एक ब्लॉक की पिछली जन सुनवाई की गई थी, उसकी पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं मिली है एवं हमने भी कोई गतिविधि शुरू नहीं की है, फिर भी हम वापस आये है, क्योंकि आज नये ब्लॉक्स थे। क्योंकि आज की तारीख में सरकारी प्रक्रियों में भी देरी हो गयी। हमने अभी तक एक भी ब्लास्ट नहीं किया है, आप जिसकी बात कर रहे है, वह हमारे कार्य की बात नहीं कर रहे है, दूसरी कम्पनियों से सम्बन्धित ब्लास्टिंग का है, उसका प्रशासन जाकर आपके सुधार करेंगे। हमारी गतिविधियों में सीएसआर के तहत जैसे हमने अभी कुछ काम किये है, ईसी आने के बाद जो प्रक्रिया है। जनसुनवाई के आने वाले सुझावों के बाद सरकार भी अलग काम करती है, जिसके तहत कुछ समय पूर्व 2025 में नॉटिफिकेशन आया है कि जन सुनवाईयों में जो गांव की तरफ से जो सुझाव आते है, उनके प्रोसेस की, प्रतिवर्ष मंत्रालय, केन्द्र सरकार तक आईआरओ की तरफ से

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

रिपोर्ट जायेगी, तो सरकार भी सुधार करती है। अब अंबुजा सीमेंट की बात करूं तो हमारे सीएसआर का काम हमेशा अव्वल दर्जे का रहा है और ऐसा भी नहीं है कि आज जो जन सुनवाई में हुआ केवल वहीं काम कर रहे है, हम जन सुनवाई के कामों के अलावा भी कुछ बजट रखते है, हर साल हम काम करते है। पर्यावरण के सम्बन्ध में कहें तो हमने इस क्षेत्र में अभी कोई साइट स्टार्ट नहीं की है, हमने तो अभी तक जमीन भी नहीं खरीदी। लेकिन जो ग्रामीणों ने मांगा था कि हमें कुछ पौधें दिलवाये, तो हमने उन्हें पौधे दिलवाये। बाकि की जो भी मांग है, जैसे प्रोजेक्ट को लेकर, पौधारोपण को लेकर करना है, उसके लिए पहले काम है कि ईसी आयेगी, ईसी के बाद आप सभी की सहमति से जमीन का, जो पिछली बार भी एवं इस बार भी समस्या आ रही है। मैं यह कह सकता हूं कि दूसरी कम्पनियों से जो चूक हो गई है, हम वह नहीं करेंगे, हम सहमति से एक रेट करेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि सरकार से भी कोई प्रतिनिधि रखें। जिससे निष्पक्ष तरीके से काम करें, जिससे जो मनमुटाव है कि किसी को 1 दे दिया, किसी को 2 मिल गये, वो होने का भी हम कोशिश नहीं करेंगे। हमारी तरफ से आपको सम्पूर्ण विश्वास दिलाते है। ईसी आने के बाद ही हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है, अभी मैं कोई प्रोजेक्ट करता हूं, तो सरकार का नियम है कि तीन से पांच साल में वह सभी कार्य करें, पहले ईसी में लिख कर नहीं आती थी, परन्तु अभी लिखा आता है। अतः आश्वसत रहे, सरकारें भी जागरूक हो रही है तथा आप भी यहां संवाद में आकर अच्छे सुझाव दे रहे है। पहले वाले ब्लॉक की भी अभी तक ईसी नहीं दी क्योंकि उसमें भी शायद कुछ ना कुछ कमी आयी होगी। हम वापस उन्हें बताते जा रहे है, कमी पूर्ति कर रहे है। उसके बाद ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग यहां आ गये तो हमें तुरन्त मिल गयी। इसकी पूरी रिपोर्ट बना कर जायेगी। इसकी एक एक्सपर्ट कमेठी रहती है, वह यह सभी सुझाव देखेगी, उन्हें इंप्लीमेंट करवायेगी। मैं आप सभी को आपके सुझावों पर आश्वस्त करवाना चाहूंगा कि सम्पूर्ण कार्य होगा।

श्री रामकुमार सोलंकी, ग्राम हरीमा ने कहा कि मेरी बात पर गौर करें, जब हमारा प्रशासन ही हमारे पास आया हुआ है एवं कंपनियों के द्वारा नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई के लिए हम वहां जाकर कहें, इससे अच्छा तो यही कहे ना। कंपनी प्रतिनिधि ने कह दिया, हमारी कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं है। एडीएम महोदय ने कहा था की जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कंपनियां करेगी, "जो दूध से जले हुए हो, तो छाछ से भी डर लगता है, तो उसे भी फूंक देखकर पीनी पड़ती है।" एक मेरा निवेदन यह था कि यहां हरीमा में जो सीवरेज लाइन डाली जा रही

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

है वह किसके थ्रू है, अंबुजा के थ्रू ही है ना। तो जब पानी की लाइन डाली जाती है तो लेवलिंग होती है, मैं आपके ठेकेदार अथवा अन्य प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं यहां शिवजी के मंदिर से लेकर जहां इसका अंतिम छोर हैं, उसकी ढलान कितने फिट है। बिना ढलान के आपने कैसे सीवरेज लाइन डाली? यह कल की ही बात है, आपके पहले ही काम के अंदर मैं ऑब्जेक्शन लग रहा हूं। आपने सीवरेज लाइन की ढलान कितनी दी है? केवल गांव में गड्ढे खोदने से कुछ नहीं होगा। कंपनी प्रतिनिधि इस बात पर गौर करें।

एडीएम महोदय ने कहा कि काम क्वालिटी से हो तथा ऐसा काम हो जो लोगों के काम आए, केवल दिखावा या शोपीस बनकर न रहे। अतः उसे वापस लेवलिंग में लेकर और कहीं गलती होती है तो उसे खोद कर वापस सुधरेंगे।

श्री नरपत निवासी हरीमा ने कहा कि इन कार्यों में ठेकेदार अपनी मनमानी करते हैं। जिस प्रकार जे.एस.डब्ल्यू. में हुआ था कि अंगौर भूमि में हमारे पुरखों का एक सार्वजनिक टांका है, उसके अंदर जे.एस.डब्ल्यू. ने कार्य करवाने के लिए शुरू कर दिया उसको पूर्णतय खोद दिया, उसको खोद कर खत्म कर दिया गया, कुछ नहीं हुआ। पहले पक्का निर्माण था, जिसे रिपेयरिंग करना था लेकिन अब ठेकेदार उसका कच्चा निर्माण कर रहा है। कंपनी वाले तथा ठेकेदार यह तक नहीं बताते हैं कि इसमें कितना बजट लगे रहे हैं? वहां पर पैसे कम लग रहे हैं, लेकिन ठेकेदार पैसे ज्यादा ले रहा है तो वहां पर सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। तो विकास कैसे होगा? कच्चा निर्माण होगा तो फिर टूट जाएगा।

एडीएम महोदय ने कहा कि नरपत जी एवं ग्रामीणों की बात यह है कि सीएसआर के अंतर्गत जो कमेंटमेंट हो, वह पूरे हो तथा काम ठोस एवं मजबूत हो, जो वर्षों तक लोगों के काम आए। साथ ही कम्पनी से निवेदन है कि उसकी क्वालिटी सुधार भी करवाये।

श्री अभयसिंह राठौड़, ग्राम हरीमा ने कहा कि गांव में पीढ़ियों पहले से एक कुआं बनाया हुआ है, जो अभी वर्तमान स्थिति में बंद है, उसे कभी भी चालू किया जा सकता है, जो गांव के हित में भी है, जो पूरे गांव की मेहनत से बनाया हुआ है। उसके ऊपर से बैल्ट जा रहा है, जिससे उसकी स्थिति पूर्ण रूप से बदल जायेगी। वो कुआं वापस कभी काम नहीं आयेगा। अगर जे.एस.डब्ल्यू. कम्पनी के प्रतिनिधि कोई यहां है तो वह बताये कि यह बैल्ट किसकी परमिशन से कुऐं के ऊपर से निकाला जा रहा है। यह गांव की मेहनत से बना है, जिसे गांव के लोगों

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

ने खोद कर बनाया है, उसके ऊपर से यह बैल्ट निकल रहा है। कम्पनी वालें जमीन के बारें में कुछ नहीं बता रहे है और उसका क्या करेंगे? यदि कम्पनी की आवश्यकता है तो कम्पनी ले, लेकिन गांव को तो बताये कि इसके बारें में क्या करना है। बैल्ट निकालने की आवश्यकता है तो निकालों लेकिन गांव को उसके बदलें में कुछ तो देना ही चाहिए। अपनी मर्जी से निकाल रहे है, कि यहां गांव का कोई लेना देना ही नहीं है। सात पीढ़ियों पहले गांव वालों ने बनाया था, कम्पनी किसकी परमिशन से कर रही है, कम्पनी प्रतिनिधि कहते है कि प्रशासन से परमिशन दे दी, लेकिन प्रशासन ने बिना गांववालों की सहमति से कैसे परमिशन दे दी। जब आप पर्यावरण की बात करते है तो यह भी पर्यावरण की ही बात है। उस कम्पनी से पूछे किससे परमिशन ली तथा अब आगे इसके बारें में क्या प्लान है।

श्री रामकुमार सोलंकी ग्राम हरीमा ने कहा कि कंपनी द्वारा यहां जो सीवरेज लाइन का कार्य शुरू किया गया है, उस सड़क को कोई व्यक्ति पैदल चलकर आसानी से पार नहीं कर सकता। यह पाइपलाइन भी आधी अधूरी डाली गई है तथा जब पूछा जाता है, तो ठेकेदार से जवाब मिलता है कि अभी माल आ रहा है, तो चार दिन पहले जिसे खोद दिया गया है, वहां अभी घुटनों तक पानी भरा हुआ है।

एडीएम महोदय ने कहां कि आपकी बात समझता हूं जब शहर में भी सीवरेज का काम चलता है, तो थोड़ी–सी मॉनिटरिंग के अभाव में ठेकेदार जेसीबी से एक साथ ही खुदाई करता है और जो पाइप डालने वाला व्यक्ति है, वह भी आगे से अपडेट करता है, तो हर व्यक्ति अपना काम तो पूरा करता है लेकिन लोग, गांव या शहर दु:खी हो जाता है। अतः कंपनी अपने ठेकेदार को पाबंद करें जितना पाइप है, पहले उतना ही खोदें। ऐसा ना हो कि ठेकेदार अपने पैसे बचाने के लिए गांव वालों को परेशान करें।

श्री रामकुमार सोलंकी ग्राम हरीमा ने कम्पनी प्रतिनिधि से पूछा कि क्या यह कार्य वापस खुदाई करके किया जायेगा? ग्रामीण यह लिखित में मांग रहे है कि यह कार्य वापस खुदाई करके रेवलिंग से किया जायेगा।

एडीएम महोदय ने कम्पनी प्रतिनिधि से कहां कि कि आप यह बात माईक पर बता देवें कि जो भी काम हुआ है, उसमें क्वालिटी चैक करवायेंगे, लेवलिंग चैक करवायेंगे। अगर लेवलिंग एवं क्वालिटी में कोई कमी होती है तो उसे ठीक करवायेंगे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

श्री प्रशांत रंगा, सीएसआर, अंबुजा सीमेंट ने कहा कि यह कार्य पूर्णतय क्वालिटी के साथ ही किया जायेगा, इसे वापस खुदवा कर, प्रोपर लेवलिंग के साथ ही इसका काम किया जायेगा।

श्री रामकुमार सोलंकी ग्राम हरीमा ने कहा कि ब्लास्ट के नुकसान के सम्बन्ध में मैंनें जो बताया है, उसको तहसीलदार साहब भी अगर प्रतिनिधि के तौर पर देख कर आ जाये तो भी हमें कुछ सांत्वना मिल जायेगी।

एडीएम महोदय ने कहा कि मैंने वादा कर दिया है कि आपके ब्लास्टिंग से जो भी नुकसान हुआ है, वहां मैं स्वयं अथवा मेरी तरह जिम्मेदार व्यक्ति साथ चलेगा।

श्री लिखमाराम भाम्भू, ग्राम हरीमा ने कहा कि सन 1960–65 में जो गांवों की स्थिति थी, वही स्थिति आज भी इस गांव की है। इस गांव से अगर कोई भी व्यक्ति पैदल निकलता है तो उसे सोच समझ कर व पुरे तौर–तरीके से निकालना पड़ता है, कि वह उसमें निकल पाएगा अथवा नहीं निकल पाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अभी आप पधारे हैं, अंबुजा को यह सुझाव करें कि वह अगर कोई कार्य कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं, तो उस हिसाब से करें कि उसका समाधान स्थाई रूप से हो सके। अगर बात जनसुनवाई की करें तो इस जनसुनवाई का नाम केवल एक लॉजिटेक बनाकर रख दिया गया, बाकि जो कागज में होना है वह होगा। ग्रामीणों को इकट्ठा कर लिया है एवं उसके बाद उनकी समस्याओं का आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। पिछली बार भी जन सुनवाई हुई, उसमें हमने अनेकों अनेक मुद्‌दें उठाएं, लेकिन उनका कोई भी समाधान आज तक नहीं हुआ है, और ना ही ग्रामीणों का जीवन स्तर सुधर रहा है, ना ही स्कूल की गाइडलाइन सुधारी गई, ना उसमें रॉ मैटेरियल उपलब्ध करवाया गया, स्कूल की शिक्षा के सुधार के लिए कुछ नहीं किया गया। रही बात पर्यावरण कि तो केवल मात्र यह जनसुनवाई करके पर्यावरण स्वीकृति लेना चाह रहे हैं, यह वैसे ही होना है। यहां केवल नाम मात्र की भीड़ इकट्ठी की गई है, होना जाना कुछ नहीं है। केवल मात्र अंबुजा की पैरवी करने के लिए प्रशासन को आगे लेकर यह किया जा रहा है, ऐसा मेरे हिसाब से यहां चल रहा है। यहां जो भी प्रशासन उपस्थित हैं, वह केवल अंबुजा की पैरवी करने के लिए उपस्थित हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि यहां कुछ सोचकर जनता का भला भी किया जाए और जनता ने जिस प्रकार मांग रखी है और जनता के विकास के लिए आप यहां आए हैं या इनकी पर्यावरण स्वीकृति

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

के लिए आए हैं, तो इनको क्या–क्या देंगे? यहां रोजगार की एक बड़ी समस्या है, यहां के 90 प्रतिशत लोग बाहर विचरण कर रहे हैं, कोई हैदराबाद, तो कोई कहीं बाहर रोजगार कर रहे हैं। कंपनी उनके यहां स्थाई रूप से रोजगार हेतु प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को रोजगार की गारंटी लिखित में देवें। जिन–जिन के खेत जा रहे हैं अथवा हरीमा गांव के प्रत्येक घर की लिस्ट बनाकर प्रत्येक घर से एक आदमी की नौकरी के लिए सुनिश्चितता की जाए, जो लिखित रूप से यहां दिया जाए। तभी कुछ हो सकता है, जनसुनवाई के नाम पर इन्हें बुलाकर इनसे कुछ बुलवाकर, झूठे वादे करने से कुछ नहीं होना है। इनका जीवन स्तर अगर ऊपर उठाना है, तो आपको इनकी जो व्यक्तिगत समस्या है, जैसे– रोजगार की समस्या, इनके जीवन के स्तर की समस्या, चिकित्सा की समस्या आदि जो भी समस्या है, इनका समाधान स्थाई रूप से अगर करना है तो यह उपलब्धता देनी जरूरी है। मेरा प्रशासनिक अधिकारियों से भी और जो ग्रामीण यहां पधारे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि यह जनसुनवाई पूर्ण रूप से इसी स्तर पर कर लेंगे, केवल प्रशासनिक अमला उपस्थित करके या एडीएम साहब उपस्थित होकर या मात्र अंबुजा की पैरवी करके। ऐसे करने से कुछ नहीं होना है, इनका जीवन स्तर सुधारने के लिए आप अंबुजा से कहकर हमें कन्वेंस करवाएंगे या क्या हमें यह लिखित में दिलवाएंगे? उसके अंदर मैं आपसे पारदर्शिता चाहता हूं। आप जो भी प्रशासनिक अधिकारी यहां पधारे हैं वह अंबुजा से यहां कमेंट करवाएं कि कम्पनी यह आपको उपलब्धता करवाएंगे, प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा। अगर यह सब होता है तो ही इनका जीवन स्तर सुधर सकता हैं। अन्यथा होना कुछ नहीं है केवल मात्र सुनवाई के नाम पर इस प्रकार किया जाएगा तो इनका जीवन स्तर हमेशा नीचे रहेगा और ना ही यह कुछ कर पाएंगे। अभी जैसे रामकुमार जी ने बताया गांव में जो परेशानियां है। इतना टाइम हो गया है, अंबुजा, जेएसडब्ल्यू एवं अन्य कंपनियां भी आ गई, परंतु कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है, इनको तो वहीं कीचड़ से निकलना है, परेशानियों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एडीएम महोदय आपसे विशेष निवेदन है कि वर्तमान में आप जिले के सबसे बड़े पद पर विराजमान है, इस पद को सुशोभित कर रहे हैं, कृपया विशेष तौर से अंबुजा अथवा जेएसडब्ल्यू या प्रशासनिक अमलें से इस प्रकार की योजना तैयार करके इनके जीवन स्तर के लिए क्या–क्या कर सकते हैं? क्या इस गांव के लिए कर सकते हैं? इस पर विशेष गौर करके इस सुनवाई को आगे बढ़ाएं।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

एडीएम महोदय ने कहा कि लिखमाराम भाम्भू जी आपने सीएसआर एवं ठोस कार्यों के लिए कहा है, इस सम्बन्ध में कम्पनी ने कमेंटमेंट दिया है कि आगामी तीन सालों में कुछ ठोस काम करवायेंगे। आप यकिन करना मैं यहां आपकी पैरवी के लिए हूं, प्रशासन हमेशा जनता की पैरवी के लिए होता है, जनता के टैक्स से सरकार को जो आय होती है, उससे सैलरी पाते है तो मैं आपकी पैरवी करूंगा।

कम्पनी के प्रतिनिधि एवं पटवारी जी एक बार आप सीवरेज लाईन का कार्य देख लेवे ताकि पता चल सके कि जनता कितनी पीड़ा में है तथा उसे ठीक करवा सकें।

श्री राम कुंवार सोलंकी ग्राम हरीमा ने कहा कि एक वर्ष पूर्व हम ग्रामीणों ने मिल कर रास्ता रोका था, तब जेएसडब्ल्यू के प्रतिनिधि आये थे तथा इस सिवरेज लाइन के कार्य को करवाने के लिए तीन महीने का समय मांगा था। इसका मतलब यह हुआ कि तीन महीने बाद हमारा बैल्ट चालू हो जायेगा आप अपने स्तर पर करते रहों।

एडीएम महोदय ने कहा कि रास्तें की समस्या को लेकर मैंने वादा कर दिया है, तो इसका समाधान मैं जरूर करवाऊंगा।

अन्त में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा जनसुनवाई के समापन की घोषणा की एवं उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जनसुनवाई से पूर्व, जनसुनवाई के दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात ग्राम पंचायत, ग्रामवासियों व उपस्थित जन–समुह द्वारा लिखित में प्रस्तुत आक्षेप/सुझाव/आपत्ति **परिशिष्ट "स"** पर सलंग्न है।

श्री राजकुमार मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.रा.प्र.नि.म., नागौर	श्री चंपालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर (राज.)	अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर (राज.)

उपस्थिति पंजिका

चूना–पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना–पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर– PSB02, प्रस्तावित क्षेत्र– 4.8122 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ–0.125 मिलियन टीपीए, निकट गांव– हरीमा, तहसील– नागौर, जिला– नागौर (राज.) में स्थित है।

स्थानः– राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हरीमा, तहसील– नागौर, जिला नागौर

दिनाँकः **05.02.2026,** समयः **दोपहर 12:00 बजे**

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1	चम्पालाल जीनगर	ADM नागौर	[signature] 05/2/-
2	Rajkumar Meena	R.O. RSPCB Nagaur	[signature]
3	CHETAN RAVAL	Ambuja Cement - Mundwa	[signature]
4	JITENDRA KUMAWAT	AMBUJA CEMENT - MUNDWA	[signature]
5	Dr. Hariprasad	Ambuja cement - Mundwa	[signature]
6.	Mayank Kumawat	Ambuja cemet Mundwa	[signature]
7.	Tushar R. Sahoo	Ambuja Cement; Mundwa	[signature]
8.	Ankit Agrawal	Ambuja Cement - Mundwa	[signature]
9.	Rajveer Bhakar	J.A.	[signature]
10	Hansraj Nagaura	RSPCB	[signature]
11	Sanjeew kr Singh	ACL	S.K. Singh
12	K.S. Yadav	Region Govt Dept.	[signature]
13	Sharwan Kumar.	Ambuja Cement (ACL)	[signature]
14	Tej Kumar Pandey	Ambuja Cements Ltd (Unit-marwar mundwa)	[signature]
15	Hari Soni	JMEPL	Hari Soni
16	Narsingh	TDR Ngr	[signature]
17.	HariRam Saran	ILR BHADANA	[signature]
18.	Ravindra	Patwari Harima	[signature]
19.	SARTHAK TIWARI	J.S.O., RSPCB, Nagaur	[signature]
20.	RISHIRAJ SINGH	AMBUJA CEMENT, Rabiyawas	Rishiraj Singh
21	Narsingh Ram Pichkiya	ILR (Retd.) Land dept Ambuja Mundwa	[signature]
22	Shiv Mahesh Joshi	Land dept Mundwa	[signature]

उपस्थिति पंजिका

चूना–पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना–पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर– PSB02, प्रस्तावित क्षेत्र– 4.8122 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ–0.125 मिलियन टीपीए, निकट गांव– हरीमा, तहसील– नागौर, जिला– नागौर (राज.) में स्थित है।

स्थानः– राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हरीमा, तहसील– नागौर, जिला नागौर

दिनाँकः **05.02.2026,** समयः **दोपहर 12:00 बजे**

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
23	मुकेश	हरिमा	मुकेश
24	सजन कुमार	हरिमा	सजन कुमार
25	गोविन्द	हरिमा	गोविन्द
26	विकास	हरिमा	विकास
27	रामकिशोर	हरिमा (मुंडवा)	[illegible]
28	रामकुमार सारस्वत	हरीमा	[illegible]
29	मुन्नानाथ	हरीमां	[illegible]
30	जयरामनाथ	सरासनी	[illegible]
31	राकेश बाना	भदाणा	[illegible]
32	दामोदर प्रसाद सारस्वत	भेडरा	Damodar
33	रमेशचन्द	हरीमा	[illegible]
34	प्रेरणा गिरि	हरीमा	Prerna
35	प्रतिमा कौशिक	हरीमा	Pratima
36	सुमन	हरीमा	सुमन
37	बड़जा देवी	हरीमा	[illegible]
38	कृष्णा देवी	हरीमा	कृष्णा
39	लक्ष्मी	हरीमा	लक्ष्मी
40	उगम कंवर	हरीमा	उगम कंवर
41	Param Veer	हरीमा	Param Veer
42	गरीबराम	इनाणा	गरीबराम
43	रामकिशोर	हरीमा	रामकिशोर

उपस्थिति पंजिका

चूना–पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना–पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर– PSB02, प्रस्तावित क्षेत्र– 4.8122 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ–0.125 मिलियन टीपीए, निकट गांव– हरीमा, तहसील– नागौर, जिला– नागौर (राज.) में स्थित है।

स्थानः– राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हरीमा, तहसील– नागौर, जिला नागौर

दिनाँकः **05.02.2026,** समयः **दोपहर 12:00 बजे**

	क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
44	~~1.~~	नरसी राम	हरिमा	नरसी राम
45	~~2.~~	कुलदीप भाँसा	हरिमा	[illegible]
46	~~3.~~	अमरनाथ	हरिमा	[illegible]
47	~~4~~	[illegible]	"	[illegible]
48	~~5~~	Mahaveer Singh	Inana	Mahaveer
49	~~6~~	ओम प्र		(अंगूठा निशान)
50	~~7~~	गरीबराम	Bhadana	गरीबराम
51	~~8~~	Vishnu Sharma	Bhadana	[illegible]
52	~~9~~	Mahendar singh	शेल	महेन्द्र सिंह
53	~~10~~	नेमाराम ढाका	शेल	नेमाराम
54	~~11~~	जितेन्द्र	मुण्डवा	Jitendra
55	~~12~~	प्रवीण	हरिमा	Praveen
56	~~13~~	लोकेन्द्र सिंह	हरिमा	[illegible]
57	~~14~~	राकेश	रुड़कावा	राकेश
58	~~15~~	दशरथ	शेल	दशरथ
59	~~16~~	सरजीत	शेल	[illegible]
60	~~17~~	Shivraj	Mundwa	Shivraj
61	~~18~~	गनसिंह	हरिमा	गनसिंह
62	~~19~~	शिवनाथ	हरिमा	शिवनाथ
63	~~20~~	सुलतान सिंह	हरीम	सुलतान सिंह
64	~~21~~	ANKit	हरीम	ANKit
65	~~22~~	मुकेश	हरिमा	मुकेश

उपस्थिति पंजिका

चूना–पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना–पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर– PSB02, प्रस्तावित क्षेत्र– 4.8122 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ–0.125 मिलियन टीपीए, निकट गांव– हरीमा, तहसील– नागौर, जिला– नागौर (राज.) में स्थित है।

स्थानः– राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हरीमा, तहसील– नागौर, जिला नागौर

दिनाँकः **05.02.2026,** समयः **दोपहर 12:00 बजे**

	क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
66	~~1~~	गिरीश कुमार	मुण्डवा नागौर	[signature]
67	~~2~~	PREM PAUL SHARMA	MUNDWA	[signature]
68	~~3.~~	नारायण राम	Meleta	[signature]
69	~~4.~~	Dharm Ram	Meleta	[signature]
70.	~~5.~~	Moji Ram	Iguwal	[signature]
71	~~6.~~	गरिबरामजी	जाडेला	[signature]
72.	~~7.~~	Prashant Ranga	ACF - Mundwa	[signature]
73.	~~8~~	Hemant Panwar	ACL	[signature]
74.	~~9.~~	Bishan Singh	MSK	[signature]
75.	~~10~~	Chhotu Singh	Ele.	[signature]
76.	~~11~~	कि-121	MIL	[signature]
77	~~12~~	Mayur B. Potkatare	Ambuja Cements Ltd	[signature]
	78.	Carib Ram	Inana.	[signature]

उपस्थिति पंजिका

चूना–पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना–पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर– PSB02, प्रस्तावित क्षेत्र– 4.8122 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ–0.125 मिलियन टीपीए, निकट गांव– हरीमा, तहसील– नागौर, जिला– नागौर (राज.) में स्थित है।

स्थानः– राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हरीमा, तहसील– नागौर, जिला नागौर

दिनाँकः **05.02.2026,** समयः **दोपहर 12:00 बजे**

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
79.	कैलाश	पाबूसर	कैलाश

आज का राशिफल गुरुवार, 01 जनवरी, 2026

पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद्

सूर्यास्त: आज शाम 05:52 बजे
सूर्योदय: कल सुबह 07:25 बजे
चन्द्रोदय: आज दोपहर 2:39 बजे
चन्द्रास्त: आज रात 03:55 बजे

मेष — **उत्साहित और प्रफुल्लित दिखाई देंगे।** व्यवहार और सोच में बदलाव के लिए कृत संकल्पित हो सकते हैं। दिन में कार्य धीमी गति से चलेंगे। मेल मुलाकातों में दिन व्यतीत हो सकता है।

वृषभ — **अच्छे और बुरे सभी तरह के लोगों से मुलाकात होगी।** व्यवहार को संयमित रखना होगा। अति उत्साह से बचें। प्रतियोगिता में आगे रहने के लिए किए जा रहे प्रयासों को मित्रों की मदद मिलेगी।

मिथुन — **आनंद और प्रेम के साथ सभी चीजों को अनुभव करेंगे।** नए लोगों का साथ जीवन में बदलाव लाएगा। दूर दृष्टि के साथ फैसले लेने होंगे। आर्थिक तौर पर थोड़ी चिंताएं रह सकती हैं।

कर्क — **कार्य कुशलता बढ़ेगी।** जिम्मेदारियां के साथ आनंदित होने के अवसर मिलेंगे। मनोरंजन और पर्यटन के क्षेत्र से जुड़ाव बढ़ने की संभावना है। व्यवसायिक लाभ मिलने की संभावना है।

सिंह — **भावनात्मक तौर पर परिपूर्ण दिखाई देंगे।** सभी का साथ आनंदित करेगा। कार्यों के प्रति रुचि थोड़ी कम रह सकती है। मनोरंजन और मेलजोल में दिन बीतने की संभावना है।

कन्या — **सामूहिक आयोजनों का हिस्सा हो सकते हैं।** निराशा को मन से हटाना होगा। छोटे-छोटे लक्ष्य शीघ्रता से हासिल हो सकते हैं। शेयर बाजार से लाभान्वित होने के योग बन रहे हैं।

तुला — **नई और पुरानी टीम के बीच सही संतुलन बनाने में सफल रहेंगे।** कार्यों को प्रशंसा मिलेगी। सकारात्मक रुख के साथ दिन का आनंद उठाएंगे। धन की उपलब्धता रहेगी।

वृश्चिक — **नए संबंधों में अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहेंगे।** पुराने अनुभवों का लाभ मिलेगा। व्यावसायिक गतिविधियों के लिए समय निकालना थोड़ा मुश्किल रहेगा।

धनु — **आशा और विश्वास से परिपूर्ण दिखाई देंगे।** किसी खास सार्वजनिक कार्यक्रम का हिस्सा हो सकते हैं। मेल-जोल बढ़ाने और प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।

मकर — **निस्वार्थ भाव से सामाजिक गतिविधियों से जुड़ेंगे।** लोगों की प्रशंसा और सम्मान मिलने से प्रसन्न रहेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। विलासिता पर बचत खर्च हो सकती है।

कुंभ — **व्यवस्थाओं पर नियंत्रण बनाने के लिए मेहनत करेंगे।** राजनीति से जुड़े लोगों को संपर्क बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। किसी खास लक्ष्य की पूर्ति होने के योग बन रहे हैं।

मीन — **कार्य दक्षता बढ़ानी होगी।** साथी कर्मियों की लापरवाही या धीमी प्रगति से कार्यस्थल पर थोड़ा तनाव रह सकता है। नए संकल्पों को करने और दूर दृष्टि के साथ आगे बढ़ने का दिन है।

ग्रह-नक्षत्र

शुभ वि. सं:	2082	हिजरी संवत :	1447	ऋतु:	शिशिर ऋतु
संवत्सर का नाम:	सिद्धार्थ	मु.मास:	रज्जब 11	मास:	पौष
शाके संवत:	1947	अयन:	उत्तरायण	पक्ष:	शुक्ल

आज का दिन

गुरुवार, 01 जनवरी, 2026

सूर्योदयकालीन लग्न व ग्रह स्थिति

10, 9 सू मं शु बु, 8, 11 रा, 7, 12 श, 6, 1, 3 गु., 5 के., 2 चं, 4

श्रेष्ठ चौघड़िया: आज शुभ का चौघड़िया सूर्योदय से 8.38 तक रहेगा। चर का चौघड़िया 11.13 से 12.30 तक रहेगा, लाभ व अमृत के चौघड़िए 12.30 से 3.05 तक रहेंगे।

तिथि: त्रयोदशी तिथि रात्रि 10.23 तक होगी, तदुपरांत चतुर्दशी तिथि होगी।

दिशाशूल: आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा।

राहु काल वेला: (मध्यमान से) दिन 1.30 से 3.00 तक रहेगा।

नक्षत्र: रोहिणी नक्षत्र रात्रि 10.48 तक होगा, तदुपरांत मृगशिरा नक्षत्र होगा।

योग: शुभ योग सायं 5.13 तक रहेगा, तदुपरांत शुक्ल योग रहेगा।

करण: कौलव करण दिन 12.05 तक रहेगा, तदुपरांत तैतिल करण रहेगा।

विशिष्ट योग: रवियोग रात्रि 10.48 से प्रारंभ।

व्रत/दिवस विशेष: प्रदोष व्रत, नववर्ष दिवस, ईस्वी सन् 2026 प्रारंभ, रोहिणी व्रत (जैन)।

चंद्रमा: आज संपूर्ण दिन रात्रि वृष राशि में होगा।

आज जन्म लेने वाले बच्च: आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि वृष होगी। रात्रि 10.48 तक जन्म लेने वाले बच्चों का रोहिणी नक्षत्र होगा, तदुपरांत मृगशिरा नक्षत्र होगा। इन बच्चों का स्वर्ण पाद होगा। इनके प्रथम नामाक्षर वा, वी, वु, वे, वो पर रखे जा सकते हैं। वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं। वृष राशि में जन्मे बच्चे सौम्य स्वभाव, सहनशील, धैर्यवान, शीतल स्वभाव वाले, कलात्मक, रसिक प्रवृत्ति वाले, तेजस्वी, संघर्षशील, दयालु, कृतज्ञ, ऐश्वर्य युक्त, आभूषण आदि अलंकरण प्रिय होते हैं।

मौसम का मिजाज बदला, दो दिन मूंग खरीद बंद

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

मूण्डवा . मूंग खरीद केंद्र पर गुणवत्ता की जांच करते जीएम व अध्यक्ष।

मूण्डवा. बुधवार को बादलों की आवाजाही रही। शाम होने तक मौसम का मिजाज बदल गया। हल्की बूंदाबांदी से मौसम में ठंडक घुल गई। मूण्डवा में क्रय विक्रय सहकारी समिति के खरीद केंद्र पर दिन भर किसानों की भीड रही। केंद्र के जीएम विजयपाल भाकर व समिति के अध्यक्ष प्रेमसुख कड़वासरा ने मूंग की गुणवत्ता की जांच कर किसान से चर्चा की। अध्यक्ष कड़वासरा ने बताया कि मौसम खराब होने के कारण गुरुवार व शुक्रवार को खरीद केन्द्र पर अवकाश रहेगा। इसलिए एक व दो जनवरी को जारी टोकन की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग तुलाई आगामी दिनों में की जाएगी। गौरतलब है कि इस सप्ताह प्रतिदिन सौ किसानों को मूंग तुलवाई के लिए बुलाने के मैसेज जारी हो गए थे। खराब मौसम के कारण सैंकड़ों किसानों को परेशानी नहीं हो इसलिए समिति ने दो दिन अवकाश रखा है।

बदला मौसम, कुचेरा में बूंदाबांदी

कुचेरा. नए साल की शुरुआत के साथ मौसम में बदलाव आया। कस्बे में बुधवार शाम को हल्की बूंदाबांदी शुरू होने से किसानों की उम्मीदें बढ गई है। मावठ की वर्षा से अधिकत्तर फसलों में फायदा होगा। हालांकि कुचेरा सहित खजवाना, छीलरा, रूण, इन्दोकली, देशवाल, जनाणा, मिरजास, ढाढरिया कलां में पान मैथी जैसी संवेदनशील फसल को हल्की बारिश या अधिक नमी से नुकसान हो सकता है। खुले मैदान में सुख रहे पान मैथी के पत्तों के भाव गिर जाएंगे, लेकिन सरसों, गेंहू, चना, जीरा, इसबगोल व तारामीरा की फसलों के लिए यह बारिश जीवनदायी होने काका काम करेगी।

जनजीवन की रफ्तार धीमी

बादल छाए रहने के साथ सर्द हवाओं के चलने से जनजीवन प्रभावित हुआ। लोग अलाव तपते नजर आए वहीं पकवानों की दुकान पर भीड़ देखने को मिली। बच्चे सर्दियों की छुट्टियों के मजे कर रहें है। छतों पर पतंगबाजी का दौर चल रहा है। सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है।

फसल बीमा राशि समय पर दिलाने की मांग

तरनाऊ. नागौर व डीडवाना-कुचामन क्षेत्र में किसानों की ओर से ज्ञापन सौपने के बाद बीमा प्रक्रिया शुरू हुई है। किसान एकता संगटन के नानूराम डूडी ने बताया कि बीमा कंपनियां फसल बीमा क्लेम 2023 को समय पर नहीं दे रही हैं। खराब फसल होने के बावजूद कई किसान क्लेम से वंचित रह गए। इस समस्या को लेकर किसानों ने आठ एसडीएम कार्यालयों में ज्ञापन सौंपा था, जिससे बीमा प्रक्रिया शुरू हुई। जानकारी में आया है कि कुछ गांवों में किसानों को केवल 20 प्रतिशत, 28 प्रतिशत या 40 प्रतिशत तक ही बीमा राशि दी जा रही है, जो वास्तविक नुकसान के मुकाबले काफी कम है। डूडी ने बताया कि आगामी दो दिनों में जिला कलक्टर, डीडवाना से मिलकर फसल बीमा में हुई विसंगतियों, उचित और न्यायसंगत बीमा राशि दिलाने और बीमा कंपनियों की मनमानी रोकने जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक

बड़ी खाटू कस्बे में कॉंग्रेस की बैठक में उपस्थित पार्टी के कार्यकर्ता।

बड़ीखाटू @ पत्रिका. कस्बे के मेला मैदान में बुधवार को कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाध्यक्ष मोती खान शेरानी ने कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष का सम्मान किया गया। वरिष्ठ कार्यकर्ता जमीर अहमद ने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य सभी वर्ग और समुदाय को साथ लेकर चलना है और संगठन की नींव मजबूत करना आवश्यक है। बैठक में पंचायत समिति सदस्य महबूब, वक्फ कमेटी सदर अब्दुल गफूर, समन दीवान, युवा विकास समिति अध्यक्ष कयुम हुसैन, मदरसा फैजूल इस्लाम के अध्यक्ष हाफिज गुलाम दस्तगीर, मईनुदीन कुरैशी, सैयद शौकत अली, अलीमुद्दीन, असलम, शकील अहमद, सफिक सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

नववर्ष पर वैंकटेश भगवान का शृंगार

मूण्डवा @ पत्रिका. नववर्ष की पूर्व संध्या पर वैंकटेश मंदिर में भगवान का भव्य शृंगार किया गया। रत्न जड़ित आभूषणों व फूलों की मालाओं से भक्तों ने भगवान का शृंगार किया। साथ ही नववर्ष में सुख समृद्धि की कामना की।

देवरीधाम में सत्संग कल

गोटन @ पत्रिका. शिवनगर में शुक्रवार को देवरी-धाम के पीठाधीश्वर रमैयादास महाराज के सानिध्य में सत्संग का आयोजन होगा। दरियाव खेजड़ा आश्रम के संत पांचाराम महाराज, त्यागी संत रामप्रकाश महाराज नोखा चांदावता, महंत मागूं साहेब भोपालगढ़, युवाचार्य संत रामदास शास्त्री, संत प्रेमदास शास्त्री, महंत भजनदास, संत रामाराम, संत रामवल्लभ, मांगीलाल देवड़ा आकाशवाणी गायक, साध्वी सुखिया बाई रजलानी,भंवर बाईसा पाली सहित विभिन्न पंथ के साधु-संतों का समागम होगा। अमरसिंह बेड़ा व राजू-बेड़ा ने बताया कि इस मौके संतों का बधावणां, गुरु वंदना, मंगलाचरण, भजन-कीर्तन, सत्संग-प्रवचन प्रसादी के कार्यक्रम होंगे।

पौष महोत्सव आज

बुटाटी @ पत्रिका. कस्बे के चारभुजा मंदिर एवं चतुरदास महाराज की तपोभूमि में 1जनवरी को पौष महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम समस्त श्रद्धालुओं के सहयोग से होगा। मुकेश कुमार साद ने बताया कि शाम 7:30 बजे मंदिर परिसर में पौषबड़ा प्रसादी का वितरण होगा। महिला मंडल की ओर से मधुर भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी।

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम), कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (वितरण)
पॉवर हाउस, आजाद सिनेमा के पास, करणीमार्ग, श्रीगंगानगर-335001
कार्यालय:-0154-2442044, फैक्स:-0154-2442080

क्रमांक :- जोविविनिलि/अधी.अभि./वितरण/गंगा./फा. कार्मिक./प्रे. दिनांक :-

सेवा समाप्ति नोटिस

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कर्मचारी बिना अवकाश स्वीकृत करवायें, अनाधिकृत रूप से लम्बे समय से सेवा से अनुपस्थित चल रहे है:–

क्र.	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	पद	कार्यालय का नाम
1	श्री सुनील कुमार मोदी	श्री शिव शंकर मोदी	एसएसए–।।	सहा.अभि. (ग्रा.) सूरतगढ़
2	श्री महावीर प्रसाद	श्री खेमराज	एसएसए–।।	सहा.अभि. (वि.) जैतसर
3	श्री योगेश कुमार	श्री विश्मबर दयाल	लाईनमैन–।	सहा.अभि. (वि.) श्रीकरणपुर
4	श्री बलकार सिंह	श्री जगसीर सिंह	टैक्नीशियन–।।	सहा.अभि. (वि.) श्रीकरणपुर

लंबे समय से अनुपस्थित रहने के कारणक इनकी सेवाएं असंतोषजनक पाई गई है, तदानुसार इनकी सेवाएं समाप्त किया जाना प्रस्तावित है। अतः तकनीकी सेवा नियम 1975 एवं नियुक्ति आदेश मे निर्दिष्ट शर्तो के अनुसार निगम प्रबंधन द्वारा इन्हे अपना पक्ष रखने का अन्तिम मौका इस ज्ञापन के द्वारा दिया जा रहा है।

इस संबंध में कोई भी प्रतिवेदन/पक्ष, यदि कोई हो, तो उक्त नोटिस के प्राप्ति तिथि के 30 दिनों के भीतर कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (वितरण), जोधपुर डिस्काम, श्रीगंगानगर के कार्यालय में डाक अथवा ईमेल आईडी pojdvvnlsgnr2@gmail.com के माध्यम से प्रस्तुत करे। नियत समयावधि के पश्चात् इस संबंध में किसी भी तरह के पत्राचार पर विचार नही किया जायेगा।

यह अंतिम नोटिस है अतः कोई प्रतिवेदन प्राप्त नही होने की स्थिति मे यह मानते हुए कि आपको इस संबंध में कोई पक्ष नही रखना हैं, तदानुसार सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जावेगी।

कृपया सूचित रहे।

अधीक्षण अभियन्ता (वितरण)
जोधपुर डिस्कॉम, श्रीगंगानगर

राज.संवाद/सी/25/16788

बिजली संबंधी शिकायतों के लिए टोल फ्री नम्बर 1800 180 6045

Municipal Corporation Alwar (Raj.)

Sr.No./MCA/NIRMAN /2025/ 4041-44 Dt. 24.12.2025

Nit No./44/2025-26 E-Procument Notice Inviting Bid

Bid for civil work of" Various Civil work "at Municipal Corporation Alwar invited for interested bidders up 06.01.2026 Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal(http://sppp.raj.nic.in & www.eproc.rajasthan.gov.in) of the state. The approximate value of the procurement is 352.66 lac

UBN No	TENDER ID
DLB2526WSOB28418	2025_DLB_523198_1
DLB2526WSOB28420	2025_DLB_523200_1
DLB2526WSOB28278	2025_DLB_523205_1
DLB2526WSOB28422	2025_DLB_523210_1
DLB2526WSOB28423	2025_DLB_523215_1
DLB2526WSOB28425	2025_DLB_523220_1
DLB2526WSOB28427	2025_DLB_523226_1
DLB2526WSOB28429	2025_DLB_523234_1
DLB2526WSOB28430	2025_DLB_523241_1
DLB2526WSOB28431	2025_DLB_523248_1
DLB2526WSOB28433	2025_DLB_523253_1
DLB2526WSOB28434	2025_DLB_523260_1
DLB2526WSOB28436	2025_DLB_523267_1
DLB2526WSOB28437	2025_DLB_523273_1

Raj.Samwad/C/25/16841

Commissioner
Municipal Corporation, Alwar

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा (राजस्थान)
(नेक A ग्रेड प्राप्त राजकीय विश्वविद्यालय)

महिलाओं को नि:शुल्क शिक्षा का अवसर
(राज्य सरकार द्वारा बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत पुनर्भरण)
प्रवेश की अन्तिम तिथि 31 जनवरी 2026

- Master of Arts (in Various Subjects)
- MBA ◆ M.Com ◆ M.Sc. Maths ◆ M.Sc. CS
- B.A. ◆ B.J. ◆ BLIS ◆ DLIS
- DCA (Online) ◆ योग विज्ञान में डिप्लोमा (DYS)
- अन्य डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कार्यक्रम

सेमेस्टर प्रणाली

आन्तरिक गृह कार्य व्यवस्था | पुस्तकें नहीं लेने पर 15% फीस में छूट

एक साथ दो डिग्री मान्य
ई–मित्र के माध्यम से प्रवेश
ऑनलाईन आवेदन हेतु स्केनर
विस्तृत जानकारी हेतु www.vmou.ac.in देखें
राज.संवाद/सी/25/16653

फोटो वायरल होने से लोगों में भय

बड़ीखाटू में पैंथर आने की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम

बड़ी खाटू कस्बे के पहाड़ी की तरफ वन विभाग टीम गश्त लगाती हुई।

बड़ी खाटू @ पत्रिका. क्षेत्र में पिछले चार-पांच दिन से सोशल मीडिया पर पैंथर की तस्वीरें वायरल होने के बाद वन विभाग की टीम बड़ी खाटू के पहाड़ी क्षेत्र में जांच करने पहुंची। बताया जाता है कि वायरल तस्वीरें एआई तकनीक से जेनरेट की गई थीं, जिससे ग्रामीणों में दहशत व्याप्त हो गई। वन विभाग के रेंजर मनोज कुमार मीणा ने क्षेत्र में गश्त करते हुए लोगों से पैंथर के निशान दिखने के बारे में पूछताछ की। ग्रामीणों ने बताया कि मोबाइल पर हर दिन अलग-अलग स्थानों की पैंथर की तस्वीरें सामने आने लोगों में भय व्याप्त है। इस पर रेंजर ने स्पष्ट किया कि ये तस्वीरें एडिटेड और एआई ऐप से बनाई गई हैं इस तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के डर से लोगों ने सोशल मीडिया से वायरल तस्वीरें हटा दीं। उन्होंने कहा कि वायरल तस्वीरों से डरने की आवश्यकता नहीं है, वन विभाग की सुरक्षा के लिए गश्त जारी है।

घाटे का सौदा बनने लगे खेती और पशुपालन

अधिकांश नलकूप बंद

रियांश्यामदास @ पत्रिका. ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाली खेती और पशुपालन आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। मेड़ता उपखंड क्षेत्र में खेत सूख चुके हैं और नलकूप अधिकांश गांवों में बंद हैं। पिछले दो दशकों में भूजल स्तर लगभग एक हज़ार फुट तक गिर गया है। पहले 100 बीघा सिंचित भूमि होती थी, अब 8-10 बीघा ही मुश्किल से सिंचित हो पाती है।

इस दौरान बीज, खाद, कीटनाशक, डीजल, बिजली और मजदूरी की लागत कई गुना बढ़ गई है, जबकि फसलों के दाम लागत के अनुरूप नहीं बढ़े। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति घट गई है, जिससे उत्पादन अपेक्षित स्तर पर नहीं है। बिचौलियों, भंडारण और विपणन की कमी के कारण किसान अपनी उपज भी कम दाम पर बेचने को मजबूर हैं।

पशुपालन भी लाभकारी नहीं रहा। चारे, दवाइयां और टीकाकरण महंगे हो गए हैं, जबकि दूध के दाम स्थिर या मामूली बढ़े हैं। छोटे पशुपालक पशुओं की संख्या घटाने या पशुपालन छोड़ने को मजबूर हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि टिकाऊ, जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, लागत घटाना, फसलों के उचित दाम और मजबूत बाजार व्यवस्था विकसित करना आवश्यक है। पशुपालन के लिए चारा विकास, दूध के वाजिब दाम और सरकारी सहायता भी जरूरी है। किसान इकबाल ने बताया कि जब तक खेती और पशुपालन लाभकारी नहीं होंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर संकट रहेगा।

मेड़ता सिटी मंडी

चमकी मूंग 8000 से 8500, मूंग 5000 से 7650, चना 5000 से 5200, ग्वार 3800 से 6000, जीरा 17000 से 22000, सौंफ 8000 से 9000, तारामीरा 4800 से 5250, असालिया 6000 से 6500, ईसबगोल 10000 से 12800, सिंधीसुआ 7000 से 8450, रायड़ा 6400 (40 प्रतिशत तेल) रुपए प्रति क्विंटल रहे। तेल प्रतिटीन: श्याम एगमार्ग मूंगफली 2750, श्याम रिफाइण्ड 2500, मीरा एगमार्ग मूंगफली 2680, महालक्ष्मी 2680, पॉवरमैन 2540, सुपर पोस्टमैन 2590, भारतमाता मूंगफली 2750, भारत माता तिल्ली 4200, मान्यता मूंगफली 2650, कृष्णा सोयाबीन 2040, फोरच्यून सोया 2250, किंग सोया 2150, धारा 2150 रुपए रहे। घी देशी (15 किलो): पालीवाल 8200, मधुसूदन 9000, रामसन्स 9000, मदर डेयरी 9000 रुपए। पशु आहार (बोरी)- कलश ब्रांड बिनोला खल 1900, भारत माता तिल्ली खल 2350 रुपए।

सर्राफा मेड़ता सिटी

चांदी (999)- 242700, सोना स्टैंडर्स (10 ग्राम) 137300

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District - Nagaur 341001
email: rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि 'चूना-पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर- PSB01-प्रस्तावित क्षेत्र - 4.8122 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ - 0.125 मिलियन TPA, निकट गांव- हरीमा, तहसील - नागौर, जिला - नागौर (राज.) में स्थित है, में चूना-पत्थर खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है।
2. और चुकि मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाइ की आवश्यकता है।
3. और चुंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।
4. और चुकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09. 2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं :-
   1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   3. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
   4. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर।
   5. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर।
   6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर।
   7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।
   8. खनिज अभियंता, नागौर।
   9. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
   10. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर।
   11. तहसीलदार, नागौर।
   12. विकास अधिकारी, पंचायत समिति - नागौर।
   13. ग्राम पंचायत - सरासनी, तहसील - नागौर, जिला - नागौर।
   14. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरीमा, तहसील - नागौर जिला नागौर।
6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 05.02.2026 को प्रातः 09.30 बजे, स्थान- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरीमा, तहसील - नागौर, जिला नागौर में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।

भवदीय
(राजकुमार मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District - Nagaur 341001
email: rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि चूना-पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर- PSB07 - प्रस्तावित क्षेत्र- 4.80 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ- 0.125 मिलियन TPA, निकट गांव- हरीमा, तहसील - नागौर, जिला - नागौर (राज.) में स्थित है, में चूना पत्थर खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है।
2. और चुकि मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाइ की आवश्यकता है।
3. और चुकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।
4. और चुकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं :-
   1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   3. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
   4. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर।
   5. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर।
   6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर।
   7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।
   8. खनिज अभियंता, नागौर।
   9. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
   10. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर।
   11. तहसीलदार, नागौर।
   12. विकास अधिकारी, पंचायत समिति - नागौर।
   13. ग्राम पंचायत - सरासनी, तहसील - नागौर, जिला - नागौर।
   14. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरीमा, तहसील - नागौर जिला नागौर।
6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 05.02.2026 को सायं 04.30 बजे, स्थान- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरीमा, तहसील - नागौर, जिला नागौर में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने नागौर में दिये जा सकते हैं।

भवदीय
(राजकुमार मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District - Nagaur 341001
email: rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि चूना पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर- PSB02, -प्रस्तावित क्षेत्र - 4.8122 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ - 0.125 मिलियन TPA, निकट गांव - हरीमा, तहसील - नागौर, जिला - नागौर (राज.) में स्थित है, में चूना-पत्थर खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है।
2. और चुकि मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाइ की आवश्यकता है।
3. और चुंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।
4. और चुकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं :-
   1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   3. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
   4. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर।
   5. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर।
   6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर।
   7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।
   8. खनिज अभियंता, नागौर।
   9. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
   10. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर।
   11. तहसीलदार, नागौर।
   12. विकास अधिकारी, पंचायत समिति - नागौर।
   13. ग्राम पंचायत - सरासनी, तहसील - नागौर, जिला - नागौर।
   14. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरीमा, तहसील - नागौर, जिला नागौर।
6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 05.02.2026 को दोपहर 12.00 बजे, स्थान- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरीमा, तहसील- नागौर, जिला नागौर में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।

भवदीय
(राजकुमार मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District - Nagaur 341001
email: rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि चूना - पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर- PSB11, - प्रस्तावित क्षेत्र - 4.8044 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ - 0.125730 मिलियन TPA, निकट गांव- सरासनी तहसील– नागौर, जिला - नागौर (राज.) में स्थित है, में चूना पत्थर खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है।
2. और चुकि मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाइ की आवश्यकता है।
3. और चुंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।
4. और चुकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09. 2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं :-
   1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
   2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   3. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
   4. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर।
   5. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर।
   6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर।
   7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।
   8. जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर।
   9. खनिज अभियंता, नागौर।
   10. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
   11. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर।
   12. तहसीलदार, नागौर।
   13. विकास अधिकारी, पंचायत समिति - नागौर।
   14. ग्राम पंचायत - सरासनी, तहसील - नागौर जिला - नागौर।
   15. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सरासनी, तहसील- नागौर जिला नागौर।
6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 06.02.2026 को प्रातः 10.00 बजे, स्थान- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सरासनी, तहसील - नागौर, जिला नागौर में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।

भवदीय
(राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District - Nagaur 341001
email: rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि चूना-पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर- PSB06, -प्रस्तावित क्षेत्र - 4.80 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ - 0.125 मिलियन TPA, निकट गांव- हरीमा, तहसील - नागौर, जिला - नागौर (राज.) में स्थित है, में चूना पत्थर खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है।
2. और चुकि मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाइ की आवश्यकता है।
3. और चुंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।
4. और चुकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09. 2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं :-
   1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   3. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
   4. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर।
   5. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर।
   6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर।
   7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।
   8. खनिज अभियंता, नागौर।
   9. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
   10. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर।
   11. तहसीलदार, नागौर।
   12. विकास अधिकारी, पंचायत समिति - नागौर।
   13. ग्राम पंचायत - सरासनी, तहसील - नागौर, जिला - नागौर।
   14. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरीमा, तहसील - नागौर, जिला नागौर।
6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 05.02.2026 को दोपहर 02.30 बजे, स्थान- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरीमा, तहसील - नागौर, जिला नागौर में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।

भवदीय
(राजकुमार मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District - Nagaur 341001
email: rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि चूना-पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर- PSB12, -प्रस्तावित क्षेत्र– 4.8062 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ - 0.125775 मिलियन TPA, निकट गांव- सरासनी तहसील - नागौर, जिला - नागौर (राज.) में स्थित है, में चूना पत्थर खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है।
2. और चुकि मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाइ की आवश्यकता है।
3. और चुंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।
4. और चुकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09. 2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं :-
   1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   3. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
   4. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर।
   5. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर।
   6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर।
   7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।
   8. जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर।
   9. खनिज अभियंता, नागौर।
   10. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
   11. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर।
   12. तहसीलदार, नागौर।
   13. विकास अधिकारी, पंचायत समिति - नागौर।
   14. ग्राम पंचायत - सरासनी, तहसील - नागौर, जिला - नागौर।
   15. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सरासनी, तहसील - नागौर, जिला नागौर।
6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 06.02.2026 को दोपहर 01.00 बजे, स्थान- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सरासनी, तहसील- नागौर, जिला नागौर में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।

भवदीय
(राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District - Nagaur 341001
email: rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि चूना-पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर- HPB20, प्रस्तावित क्षेत्र - 547.5512 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ - 3.0 मिलियन TPA, निकट गांव-हरीमा, सरासनी एवं सोमणा तहसील - डेह एवं नागौर, जिला - नागौर (राज.) में स्थित है, में चूना-पत्थर खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् प्रस्ताव वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किये है।
2. और चुकि मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाइ की आवश्यकता है।
3. और चुंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।
4. और चुकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं :-
   1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   3. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
   4. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर।
   5. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर।
   6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर।
   7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।
   8. जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर।
   9. खनिज अभियंता, नागौर।
   10. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
   11. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर।
   12. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जायल।
   13. तहसीलदार, नागौर।
   14. तहसीलदार, डेह।
   15. विकास अधिकारी, पंचायत समिति - नागौर।
   16. विकास अधिकारी, पंचायत समिति - डेह।
   17. ग्राम पंचायत - सरासनी, तहसील- नागौर जिला - नागौर।
   18. ग्राम पंचायत- सोमणा, तहसील - डेह, जिला- नागौर।
   19. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सरासनी, तहसील- नागौर जिला नागौर।
6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 06.02.2026 को सायं 04.00 बजे, स्थान- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सरासनी, तहसील - नागौर, जिला नागौर में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।

भवदीय
(राजकुमार मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी

आयुष मेडिकल कॉलेजों में ऑन पेपर या फेक फैकल्टी पर अब होगी सख्त कार्रवाई

डॉ. विनोद के. दवे | जोधपुर

देशभर के आयुष मेडिकल कॉलेजों में ऑन पेपर फैकल्टी या फेक टीचिंग स्टाफ की परंपरा पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी है। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) ने कॉलेजों को पत्र भेजकर चेताया है। इसमें शिक्षकों की नियुक्तियों के फर्जीवाड़े के मामले में सख्त कार्रवाई करने और इसके लिए कॉलेज प्रिंसिपल को सीधे जिम्मेदार ठहराने की बात कही है।

एनसीआईएसएम के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के प्रेसिडेंट डॉ. मुकुल पटेल ने देश के सभी 700 से अधिक आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा व अन्य मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल्स और विभागाध्यक्षों को पत्र जारी किया है। पत्र में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि किसी कॉलेज में फैकल्टी सदस्य कागजों पर तो मौजूद हैं, लेकिन फिजिकल रूप से अनुपस्थित पाए जाते हैं, तो यह गंभीर अनैतिकता मानी जाएगी। इससे न केवल छात्रों का अध्ययन-अध्यापन प्रभावित होता है, बल्कि पूरे आयुष शिक्षा तंत्र की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है।

शिक्षकों की आधार इनेबल्ड अटेंडेंस लागू करनी होगी

आयोग ने कॉलेजों को आदेश दिया है कि संस्थान में कार्यरत सभी एकेडमिक स्टाफ की सूची को आधिकारिक नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए। आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (एईबीएएस) को पूरी तरह लागू करने पर बल दिया गया है, जो सीधे आयोग से जुड़ा रहेगा। बता दें कि वर्तमान में देशभर में 700 से ज्यादा आयुष कॉलेज हैं, जहां लगभग दो लाख छात्र अध्ययनरत हैं। लंबे समय से शिकायतें आ रही थीं कि कई कॉलेजों में टीचिंग फैकल्टी और मेडिकल ऑफिसर्स केवल कागजों पर मौजूद रहते हैं। अब एनसीआईएसएम एक्शन मोड में आ गया है।

ऑन पेपर या फेक फैकल्टी जैसी अनियमितताओं के लिए केवल प्रिंसिपल ही नहीं, बल्कि कॉलेज मैनेजमेंट भी जिम्मेदार है। लाइव अटेंडेंस से सीधे आयोग से जुड़ा होने से पूरी निगरानी संभव हो सकेगी। इससे कॉलेजों में शैक्षणिक गुणात्मक सुधार आएगा। **-डॉ. राकेश पांडेय,** राष्ट्रीय प्रवक्ता, आयुष मेडिकल एसोसिएशन

शिक्षक बीएलओ को आधा दिन स्कूल में पढ़ाना होगा, बकाया कोर्स पूरा कराएं

भास्कर न्यूज | बीकानेर

10वीं -12वीं की बोर्ड परीक्षाएं नजदीक है। वही नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू किए जाने के कारण अन्य कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा भी अप्रैल की बजाय मार्च में ही आयोजित की जानी है। वही वर्तमान शैक्षणिक सत्र में भी 20 से 22 दिनों की कटौती हुई है। ऐसे में परीक्षा से पहले विद्यार्थियों का बकाया पाठ्यक्रम समय पर पूरा करने के लिए बीएलओ नियुक्त शिक्षकों को आधा दिन स्कूलों में अनिवार्य रूप से विद्यार्थियों को पढ़ना होगा। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया गया है कि स्कूल में उपस्थिति अवधि के दौरान वह विद्यार्थियों के अध्यापन कार्य में सक्रिय रूप से योगदान दें ताकि बकाया दिनों में शेष पाठ्यक्रम समय पर पूरा करवाया जा सके। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को सतत मॉनिटरिंग भी करनी होगी। एजुकेशन सेक्रेटरी कृष्ण कुणाल ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर को पत्र के जरिए अवगत कराया है। विदित रहे हैं कि एसआईआर के तहत मतदाता सूची विशेष गहन पुनर्निरीक्षण का काम 15 जनवरी तक पूरा करना है। बीकानेर जिले में लगभग 1638 बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) नियुक्त इसमें अधिकांश शिक्षक है।

लूट के माल में गड़बड़ी: जांच में आईओ की रिपोर्ट में रहे झोल पर फोकस

अजमेर | क्रिश्चियनगंज थाना क्षेत्र में 23 लाख रुपए की लूट के आरोपियों को गिरफ्तार करने और लूट की रकम बरामदगी में गड़बड़ी की विभागीय जांच जारी है। विभागीय तफ्तीश में अनुसंधान अधिकारी (आईओ) की जांच में कहां-कहां पर झोल हैं, इस पर फोकस किया जा रहा है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक लूट के माल की बरामदगी कम दिखाने को लेकर केवल एएसआई ही संदेह के घेर में नहीं है, जांच पूरी होने तक कुछ और नाम इसमें जुड़ सकते हैं। जांच टीम इस बिंदु पर भी काम कर रही है कि एएसआई के निलंबित होने के बाद शेष रकम कैसे दस्तयाब हुई?

पुलिस अधिकारी हालांकि ज्यादा कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मामले में कई और पुलिसकर्मियों के नाम शामिल हो सकते हैं। सबसे पहला सवाल आईओ द्वारा इस मामले में की गई पड़ताल पर ही उठाया गया है।

॥ तीये की बैठक ॥

अत्यन्त दुःख के साथ सुचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी **श्री घनश्याम शर्मा जी (जैमन)** का स्वर्गवास 30.12.2025 को हो गया है। तीये की बैठक 01.01.2026 को हमारे निवास स्थान 560-नार्थ पवनपुरी, बेनाड रोड़, जयपुर पर दोपहर 2 से 3 बजे तक होगी। शोकाकुल :- अनीता (धर्मपत्नी), बसन्तजी, नारायण जी, कन्हैयाजी, जगदीशजी (भाई), निखिल- सारिका (पुत्र- पुत्रवधु), पारुल- नितीशजी (पुत्री- दामाद), रवि, अरुण, अवधेश, ब्रजेश, नीरज, नवीन, प्रवीण, दीपांशु, योगेश (भतीजे) एवं समस्त जैमन परिवार बसवावाले- 9460570046, 9413440110.

OFFICE OF THE DY. CONSERVATOR OF FOREST, WILDLIFE, JAISALMER

No.: F(Store/DCFWL/2025/ Date:

NOTICE INVITING TENDER

Online Bids for Construction works as per below NIT Number under Wildlife Division Jaisalmer are invited from interested bidders 25.12.2025 to 10.01.2026 Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal https://sppp.rajasthan.gov.in of the State.

Tender ID	NIB Code	UBN No.
2025_FORES_523238_1	FOR2526A3080	FOR2526WSOB04159
2025_FORES_524254_1	FOR2526A3135	FOR2526WSOB04256

DY. CONSERVATOR
OF FOREST, WILDLIFE, JAISALMER

प्ररूप–5
(नियम 6(2) देखिये)

प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय नगर पालिका मण्डल मेड़ता सिटी (नागौर) राजस्थान

क्रमांक : न.पा.मे./7573 — **लोक सूचना** — दिनांक : 26.12.2025

निम्नलिखित आवेदकों द्वारा नीचे वर्णित भूमि में के अपने अधिकार आवासिय प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए नगरपालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

पत्रावली सं.	जिले व नगर का नाम	नाम व पता आवेदक का	वार्ड/कॉलोनी/गली का नाम भूमि का क्षेत्रफल (वर्गगज)	पड़ोस द्वारा सीमाबद्ध भूखण्ड सं. उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई व चौड़ाई सहित क्षेत्र.			
				उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
552/2023–24	नागौर, मेड़ता	भगवती/श्यामलाल जाति–ब्राह्मण निवासी–मेड़ता सिटी	नेणावतों की पोल, सेवगों का मोहल्ला क्षैत्रफल 42.79 वर्गगज	मकान राजेन्द्र का	निकाल व गली	निकाल व रास्ता	सिरोली दिवार व मकान रामेष्वरलाल
152/2025–26	नागौर, मेड़ता	अब्दुल कलाम/अब्दुल अजीज जाति–मु. पठान निवासी–मेड़ता सिटी	तलहटी मोहल्ला क्षैत्रफल 152.06 वर्गगज	आम रास्ता	मकान गोरधन लाल का	मकान व दुकानें रसीद व कमला की	दुकानें व मकान सकूर का
153/2025–26	नागौर, मेड़ता	गोपाल सिंह/शेर सिंह जाति–राजपूत निवासी–जैसास रोहिट	मालियों का मोहल्ला, षिवबाड़ी क्षैत्रफल 223.60 वर्गगज	रास्ता मोहल्ले की	बाउण्ड्री पारीक पाठषाला की	मकान प्रकाष व रामस्वरूप का व रास्ता	गुजर गली व बाउण्ड्री पारीक पाठषाला की
154/2025–26	नागौर, मेड़ता	फरीदा परवीन/शरफराजुदीन जाति–मुसलमानसिपाही निवासी–मेड़ता सिटी	संगम विहार के सामने विष्णु सागर रोड़ क्षैत्रफल 161.52 वर्गगज	निकाल व आम रास्ता	मकान हाजी बषीर का	मकान दौलत खां का	निकाल व आम रास्ता
155/2025–26	नागौर, मेड़ता	पुष्पेन्द्र.ओमप्रकाश पिसरान राधाकिषन जाति–माली निवासी–मेड़ता सिटी	चौमुखा महादेव मन्दिर के सामने मालियों का मोहल्ला क्षैत्रफल 198.00 वर्गगज	ईमारत पुखराज की	मकान रामराज व कालूराम का	मकान दुर्गाप्रसाद का	गुजर व आम रास्ता
157/2025–26	नागौर, मेड़ता	मुन्नी/गणपत लाल जाति–माली निवासी–मेड़ता सिटी	मालियों के न्याति भवन के पास क्षैत्रफल 103.86 वर्गगज	मकान ओम जी का	बन्द गली	मकान व बाड़ा सुगन जी का	निकाल व आम रास्ता

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सुचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगरपालिका अधिनियम,2009 की धारा 69–क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्रात करने के लिए नगरपालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्तनियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जावेगा। यह लोक सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 26.12.2025 को जारी की गयी।

राज.संवाद/सी/25/16813 — प्राधिकृत एवं अधिशाषी अधिकारी

कार्यालय नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

क्रमांक. 3329/न.पा.नि./लोनिवि/25-26
अम्बिकापुर दिनांक 26/12/2025

-: ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना :-

नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर द्वारा अधोसंरचना मद अन्तर्गत विभिन्न वार्डो में सड़क डामरीकरण, सीसी रोड एवं नाला निर्माण कार्यो (कुल 40 कार्य) हेतु ऑनलाईन ई-निविदा आमंत्रित की गई है।

विस्तृत निविदा सूचना छ.ग. शासन के ई-प्रोक्यूरमेंट पोर्टल https://eproc.cgstate.gov.in & https://uad.cg.gov.in में देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है।

आयुक्त
पालिक निगम, अम्बिकापुर

OFFICE OF THE MUNICIPAL COUNCIL, JANJGIR-NAILA, DISTT-JANJGIR CHAMPA(C.G.)

e-procurement Tender Notice

NIT.NO./2622/PWD/NPP/2025-26 — JANJGIR-NAILA, DATE: 29.12.2025

S. No.	System Tender no.	Name of work/description of work	Probable amount of contract (Lac)
1	182562	Revamping of Material Recovery Facility (MRF) including installation of Machinery and construction of Compost Plant in Municipal Areas of Janjgir Naila Chhattisgarh	172.68

The details can be viewed and download online directly from the government of Chhattisgarh e-procurement portal https://eproc.egstate.gov.in on sub portal of though urban administration and development department https://uad.cg.gov.in for more details on the tender and bidding process you may please visit the above-mentioned portal. The last date of bid submission Date 28.01.2026 Time 5.00 pm.

CHIEF MUNICIPAL OFFICER
MUNICIPAL COUNCIL JANJGIR-NAILA

REGIONAL OFFICE RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

.st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District- Nagaur 341001
email : rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि 'चूना-पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर-HPB20, प्रस्तावित क्षेत्र- 547.5512 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ-3.0 मिलियन TPA, निकट गांव- हरीमा, सरासनी एवं सोमणा तहसील- डेह एवं नागौर, जिला- नागौर (राज.) में स्थित है, में चूना-पत्थर खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् प्रस्ताव वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किये है। 2. और चुंकि मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई की आवश्यकता है। 3. और चुंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है। 4. और चुंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। 5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं :-
1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 3. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर। 4 जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर। 5. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर। 6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर। 7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 8. जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर। 9. खनिज अभियंता, नागौर। 10. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 11. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर। 12. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जायल 13. तहसीलदार, नागौर। 14. तहसीलदार, डेह। 15. विकास अधिकारी, पंचायत समिति- नागौर। 16. विकास अधिकारी, पंचायत समिति- डेह। 17. ग्राम पंचायत- सरासनी, तहसील- नागौर, जिला- नागौर। 18. ग्राम पंचायत- सोमणा, तहसील- डेह, जिला- नागौर। 19. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सरासनी, तहसील- नागौर, जिला नागौर।
6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 06.02.2026 को सायं 04:00 बजे, स्थान- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सरासनी, तहसील- नागौर, जिला नागौर में आयोजित की जायेगी। अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।

भवदीय (राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर (राज.), फोनः 0141-2722520
क्रमांकः- F6(1)/RSSB/IT/Mou-RISL/2018-19/ — दिनांकः 29.12.2025

विज्ञप्ति

बोर्ड द्वारा जारी की जाने वाली आगामी भर्तियों के ऑनलाइन आवेदनों में शैक्षणिक योग्यता व भर्ती संबंधी अन्य दस्तावेज एवं प्रविष्टियां भरने की प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है। इस संबंध में दिशा निर्देश विज्ञप्ति एवं सहायता दस्तावेज बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किये गए हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इन दस्तावेजों का भली प्रकार अध्ययन करने के उपरान्त ही ऑनलाइन आवेदन भरें।

(प्रीति माथुर)
सचिव

DIPR/C/........../2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

क्रमांक/कअ/नाजरात/2025/1193 — दिनांक : 31.12.2025

-:: ई-निविदा सूचना ::-

राजस्व न्यायालयों हेतु RRCMS प्रोजेक्ट हेतु कम्प्यूटर हार्डवेयर क्रय किये जाने हेतु निविदा जारी की जाती है, जिसे कलेक्ट्रेट, अजमेर की आईडी पर निम्नानुसार देखी जा सकती है।

E-Proc. ID	Sppp UBN No.
2025_DTCAJ_524351_1	CAJ2526GLOB00014

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रशासन) अजमेर

कार्यालय नगरपरिषद्, मकराना (डीडवाना-कुचामन)

फोन नं. 01588-240107 फैक्स 01588-240107 ईमेल :- npmakrana@gmail.com
क्रमांकः- न.प.म./2025-26/4642 — दिनांक :- 22.12.2025

निविदा सूचना 10/2025-26

कार्यालय नगरपरिषद् मकराना द्वारा विकास कार्य के लिए योग्य संवेदकों/फर्मों से निविदा प्रपत्र में ऑफलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है, http://www.sppp.raj.nic.in/ पर NIB NO. DLB2526A9607 के जरिए देखी जा सकती है। सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
UBN NO. DLB2526WSOB28744 to DLB2526WSOB28752

आयुक्त
नगरपरिषद् मकराना

राज.संवाद/सी/25/16835

PSPCL पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(पंजी. कार्यालय : पी.एस.ई.बी. मुख्य कार्यालय, द माल, पटियाला-147001)
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U40109PB2010SGC033813 वेबसाइटः www.pspcl.in
संपर्क नंबरः 96461-26075, ईमेल आईडीः manager-scada@pspcl.in

टेंडर पूछताछ संख्या 348/DIT-1122 — दिनांक 31.12.2025

डिप्टी CE/IT (A&PM), ग्राउंड फ्लोर, 7-मंजिला बिल्डिंग, PSPCL हेड ऑफिस, द मॉल, पटियाला, PSPCL के विभिन्न ऑफिसों के लिए डेस्कटॉप PC (टॉवर टाइप), मल्टी-फंक्शनल प्रिंटर (MFP) और UPS की खरीद के लिए शॉर्ट टर्म ओपन ई-टेंडर आमंत्रित करते हैं। विस्तृत NIT और टेंडर स्पेसिफिकेशन्स के लिए कृपया 31.12.2025, दोपहर 12:00 बजे से https://eproc.punjab.gov.in देखें।

नोटः यदि कोई शुद्धिपत्र और परिशिष्ट होगा, तो उसे https://eproc.punjab.gov.in पर ऑनलाइन प्रकाशित किया जाएगा।

1079/12/2025-26/6637 — C957/25

कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, नदबई, भरतपुर

क्रमांक :- एफ ( ) लेखा/मुब्लॉशिअनद/2025-26/286 — दिनांक :- 29/12/2025

खुली निविदा सूचना संख्या 01/2025-26

श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ 8 (22) आ.प्र.एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/राजकाज पत्रांक 18015274 दिनांक 26.09.2025 एवं कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राजस्थान) द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 2673 दिनांक 06.11.2025 द्वारा विद्यालय भवन सामान्य मरम्मत तथा रंग रोगन आदि हेतु जारी स्वीकृति के कार्य हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार के राजकीय/अर्द्धशासकीय/स्वायत्तशासी निकायों में सक्षम श्रेणी में निर्माण कार्यो हेतु पंजीकृत संवेदकों से कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, नदबई भरतपुर में स्थित चयनित विद्यालयों में रंग-रोगन/मरम्मत कार्यो हेतु निविदाऐं दिनांक 30/12/2025 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 05/01/2026 को सायं 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बंधित समस्त विवरण बेवसाईट **https://sppp.rajasthan.gov.in** पर देखा जा सकता है।

NIB Code- EED2526A1136, UBN- EED2526WSOB01442, EED2526WSOB01443 EED2526WSOB01444, EED2526WSOB01447, EED2526WSOB01448 EED2526WSOB01449, EED2526WSOB01450, EED2526WSOB01451 EED2526WSOB01452, EED2526WSOB01453, EED2526WSOB01454 EED2526WSOB01455, EED2526WSOB01456, EED2526WSOB01457 EED2526WSOB01458, EED2526WSOB01459, EED2526WSOB01460 EED2526WSOB01461, EED2526WSOB01462, EED2526WSOB01463 EED2526WSOB01464, EED2526WSOB01465, EED2526WSOB01466 EED2526WSOB01467, EED2526WSOB01468, EED2526WSOB01469 EED2526WSOB01470

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा नदबई, भरतपुर

राज.संवाद/सी/25/16775

PSPCL पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(ऑफिसः इंजीनियर-इन-चीफ/ P&M, PSPCL, लुधियाना।)
CIN: U40109PB2010SGC033813 वेबसाइटः www.pspcl.in

टेंडर पूछताछ संख्या 04/CE/P&M/2025-26

EIC/P&M, PSPCL, लुधियाना 66 kV वोल्टेज लेवल पर हॉटलाइन वर्किंग के लिए इंसुलेटेड एरियल वर्क प्लेटफॉर्म और हॉटलाइन टूल्स के निर्माण, टेस्टिंग, सप्लाई और डिलीवरी और हॉटलाइन वर्किंग के लिए मैनपावर प्रदान करने हेतु ई-टेंडर आमंत्रित करता है। विस्तृत NIT और टेंडर स्पेसिफिकेशन्स के लिए कृपया 01.01.2026 को सुबह 10:00 बजे से https://eproc.punjab.gov.in देखें।

नोटः शुद्धिपत्र और परिशिष्ट, यदि कोई हो, तो उसे https://eproc.punjab.gov.in पर ऑनलाइन प्रकाशित किए जाएँगे।

1079/12/2025-26/6632 — C954/25

PSPCL पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(कार्यालयः इंजीनियर-इन-चीफ/ P&M, PSPCL, लुधियाना)
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U40109PB2010SGC033813
वेबसाइटः www.pspcl.in

टेंडर पूछताछ संख्या 03/CE/P&M/2025-26

EIC/P&M, PSPCL, लुधियाना हॉटलाइन वाशिंग इक्विपमेंट के निर्माण, परीक्षण, आपूर्ति और डिलीवरी के लिए ई-टेंडर आमंत्रित करता है। विस्तृत NIT और टेंडर स्पेसिफिकेशन्स के लिए कृपया 01.01.2026 को सुबह 10:00 बजे से https://eproc.punjab.gov.in देखें।

नोटः शुद्धिपत्र और परिशिष्ट, यदि कोई हो, तो उसे https://eproc.punjab.gov.in पर ऑनलाइन प्रकाशित किए जाएँगे।

1079/12/2025-26/6640 — C959/25

REGIONAL OFFICE RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

.st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District- Nagaur 341001
email : rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि 'चूना-पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर-PSB06,प्रस्तावित क्षेत्र- 4.80 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ- 0.125 मिलियन TPA, निकट गांव- हरीमा,तहसील- नागौर, जिला- नागौर (राज.) में स्थित है, में चूना-पत्थर खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति वावत् प्रस्ताव राज्य स्तरीयपर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है। 2. और चुंकि मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाइ की आवश्यकता है।. 3. और चुंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है। 4. और चुंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यकहै। 5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों परअवलोकनार्थ उपलब्ध हैं :-
1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 2.पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 3. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर। 4. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर। 5.अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर। 6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर। 7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 8. खनिज अभियंता, नागौर। 9. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 10. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर। 11.तहसीलदार, नागौर। 12.विकास अधिकारी, पंचायत समिति- नागौर। 13. ग्राम पंचायत- सरासनी, तहसील- नागौर, जिला- नागौर। 14. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरीमा, तहसील-नागौर, जिला नागौर।
6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 05.02.2026 को दोपहर 02:30 बजे, स्थान- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरीमा, तहसील- नागौर, जिला नागौर में आयोजित की जायेगी।
अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।

भवदीय (राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

REGIONAL OFFICE RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

.st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District- Nagaur 341001
email : rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि 'चूना-पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर-PSB12,_प्रस्तावित क्षेत्र- 4.8062 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ- 0.125775 मिलियन TPA, निकट गांव- सरासनी तहसील- नागौर, जिला- नागौर (राज.) में स्थित है, में यूना-पत्थर खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् प्रतावराज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है। 2.और चुंकि मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचनादिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाइ की आवश्यकता है। 3. और चुकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतुजन सुनवाई के लिए आवेदन किया है। 4.और चुंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यकहै। . उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों परअवलोकनार्थ उपलब्ध हैं :-
1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।2.पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर 3.क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर। 4.जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर। 5.अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर। 6.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर। 7.क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 8.जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर। 9.खनिज अभियंता, नागौर। 10.जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 11.उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर। 12. तहसीलदार, नागौर। 13. विकास अधिकारी, पंचायत समिति- नागौर। 14. ग्राम पंचायत- सरासनी, तहसील- नागौर, जिला- नागौर। 15. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सरासनी, तहसील-नागौर, जिला नागौर।
6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 06.02.2026 को दोपहर 01:00 बजे, स्थान- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सरासनी, तहसील- नागौर, जिला नागौर में आयोजित की जायेगी।
अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित/गौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस राम्बन्ध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजरथान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।

भवदीय (राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

REGIONAL OFFICE RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

.st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District- Nagaur 341001
email : rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि 'चूना-पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर-PSB01, प्रस्तावित क्षेत्र- 4.8122 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ-0.125 मिलियन TPA, निकट गांव- हरीमा, तहसील- नागौर, जिला- नागौर (राज.) में स्थित है, में चूना-पत्थर खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रसतुत किये है। 2. और चुंकि मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचनादिनांक 14.09 2006 एवं तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाइ की आवश्यकता है। 3.और चुंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूपण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतुजन सुनवाई के लिए आवेदन किया है। 4.और चुकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक 5.उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं :-
1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 2.पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 3.क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर। 4.जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर। 5.अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर। 6.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर। 7.क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 8.खनिज अभियंता, नागौर। 9.जिला उद्योग केन्द्र, नागौर 10. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर। 11. तहसीलदार, नागौर। 12. विकास अधिकारी, पंचायत समिति- नागौर। 13. ग्राम पंचायत- सरासनी, तहसील- नागौर, जिला- नागौर। 14. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरीमा, तहसील- नागौर, जिला नागौर।
6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 05.02.2026 को प्रातः 09:30 बजे, स्थान- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरीमा, तहसील-नागौर, जिला नागौर में आयोजित की जायेगी।
अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाईस्थल पर उपरिथत होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप/सुझाव इससूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण, सहकारी भूमिविकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।

भवदीय (राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

REGIONAL OFFICE RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

.st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District- Nagaur 341001
email : rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि 'चूना-पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर-PSB11, प्रस्तावित क्षेत्र- 4.8044 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ- 0.125730 मिलियन TPA, निकट गांव- सरासनी तहसील- नागौर, जिला- नागौर (राज.) में स्थित है, में चूना-पत्थर खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् प्रस्तावराज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है। 2.और चुंकि मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचनादिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाइ की आवश्यकता है। 3. और चुंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतुजन सुनवाई के लिए आवेदन किया है 4. और चुंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यकहै 5.उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों परअवलोकनार्थ उपलब्ध हैं :-
1 राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 2.पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 3.क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर। 4.जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर। 5.अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर 6.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर 7.क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 8.जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर। 9.खनिज अभियंता, नागौर 10.जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 11. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर 12. तहसीलदार, नागौर। 13. विकास अधिकारी, पंचायत समिति- नागौर। 14. ग्राम पंचायत- सरासनी, तहसील- नागौर, जिला- नागौर। 15. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सरासनी, तहसील- नागौर, जिला नागौर।
6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 06.02.2026 को प्रातः 10:00 बजे, स्थान- राजकीयउच्च प्राथमिक विद्यालय सरासनी, तहसील- नागौर, जिला नागौर में आयोजित की जायेगी।
अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप/सुझाव इससूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।

भवदीय (राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

REGIONAL OFFICE RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

.st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District- Nagaur 341001
email : rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि 'चूना-पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्र लिमिटेड, ब्लॉक नंबर-PSB02, प्रस्तावित क्षेत्र- 4.8122 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ- 0.125 मिलियन TPA, निकट गांव- हरीमा,तहसील-नागौर, जिला- नागौर (राज.) में स्थित है, में चूना-पत्थर खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् प्रस्ताव राज्य स्तरीयपर्यावरणीय अधिप्रभात आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है। 2.और चुंकि मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचनादिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाइ की आवश्यकता है। 3.और चुंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतुजन सुनवाई के लिए आवेदन किया है। 4.और चुंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यकहै। 5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों परअवलोकनार्थ उपलब्ध हैं :-
1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 2.पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 3.क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर। 4.जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर। 5.अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर। 6.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर। 7.क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 8.खनिज अभियंता, नागौर। 9.जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 10. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर। 11. तहसीलदार, नागौर। 12. विकास अधिकारी, पंचायत समिति- नागौर। 13. ग्राग पंचायत- सरासनी, तहसील- नागौर, जिला- नागौर। 14. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरीमा, तहसील-नागौर, जिला नागौर।
6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 05.02.2026 को दोपहर 12:00 बजे, स्थान- राजकीय उच्च प्राथगिक विद्यालय हरीमा, तहसील- नागौर, जिला नागौर में आयोजित की जायेगी।
अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाईस्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप/सुझाव इससूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण, सहकारी भूमिविकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।भवदीय

भवदीय (राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

REGIONAL OFFICE RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

.st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District- Nagaur 341001
email : rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि 'चूना-पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर-PSB07, प्रस्तावित क्षेत्र- 4.80 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ- 0.125 मिलियन TPA, निकट गांव- हरीमा,तहसील-नागौर, जिला-नागौर (राज.) में स्थित है, में चूना-पत्थर खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् प्रस्ताव राज्य रतरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है। 2. और चुकि मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09 2006 एवं तत्पश्चात् राशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय रवीकृति हेतु जनसुनवाइ की आवश्यकता है। 3. और चुकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है। 4. और चुंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। 5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं :-
1.राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 2.पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर 3.क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर। 4.जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर। 5.अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर। 6.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर। 7.क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 8.खनिज अभियता, नागौर। 9.जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 10.उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर। 11.तहसीलदार, नागौर। 12.विकास अधिकारी, पंचायत समिति- नागौर। 13. ग्राम पंचायत- सरासनी, तहसील- नागौर, जिला- नागौर। 14. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरीमा, तहसील- नागौर, जिला नागौर।
6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 05.02.2026 को सायः 04:30 बजे, स्थान- राजकीयउच्च प्राथमिक विद्यालय हरीमा, तहसील- नागौर, जिला नागौर में आयोजित की जायेगी।
अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपरिथत होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप/सुझाव इससूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।

भवदीय (राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर

स्टेडियम के पास, नागौर, फोन : 01582-241046, फैक्स : 01582-246175 — ईमेल : def.ngr. forest @rajasthan. gov.in
क्रमांक : एफ ( ) विविध / उवसं / 2025-26 / 10735 — दिनांक : 29.12.2025

-: नीलामी-सूचना :-

सर्व साधारण एवं लकड़ी व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि इस वन मण्डल अधीन रेंज कार्यालय परबतसर व कुचामन सिटी में जब्त शुद्धा लकड़ी निम्न कार्यक्रम अनुसार नीलामी द्वारा विक्रय की जायेगी, इच्छुक जी.एस.टी. रजिस्टर्ड व्यक्ति/फर्म निर्धारित तिथि को निर्धारित समय पर उपस्थित होकर नीलामी बोली में भाग ले सकते है। नीलाम की जाने वाली जलाऊ लकड़ी का अवलोकन निम्न विवरण अनुसार लकड़ी के स्टॉक स्थान है, नीलाम होने वाली जब्त शुद्धा जलाऊ लकड़ी जहां है जैसी है उसी स्थिति में नीलाम की जायेगी।

क्र. सं.	रेंज का नाम	लकड़ी स्टॉक का स्थान	अनुमानित मात्रा (क्विटल)	अनुमानित राशि/मूल्य	लकड़ी का प्रकार	धरोहर राशि	लकड़ी का निस्तारण/उठाने का समय	लकड़ी नीलामी की बोली लगाने का स्थान/दिनांक व समय
1	परबतसर	नर्सरी खुण्डियास	83.67	37650	सफेदा लकड़ी	3500	10 दिवस	रेंज कार्यालय परबतसर में दिनांक 20.01.2026 समय 12.00 पीएम
			384.07	134425	सफेदा के खड़े पेड़ (कटाई सहित)		05 दिवस	
		रेंज कार्यालय परबतसर	528	158400	पंचमेल जलाऊ लकड़ी	3200		
2	कुचामन सिटी	नर्सरी आंनदपुरा	527.5	158250	पंचमेल जलाऊ लकड़ी	5000	05 दिवस	रेंज कार्यालय कुचामन सिटी में दिनांक 20.01.2026 समय 03.00 पीएम
		नर्सरी मिठड़ी	129	38700				
		नाका मारोठ	155	46500				

नीलामी की शर्ते :-

1. नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं का दिनांक 20.01.2026 को उपरोक्तानुसार धरोहर राशि नीलामी तिथि को सुबह 11.00 बजे तक व रेंज कुचामन के लिए दोपहर 02 बजे तक संबंधित रेंज कार्यालय में नकद जमा करानी होगी। धरोहर राशि जमा कराने वाले व्यक्ति ही बोली लगाने के हकदार होंगे। बोलीदाता को जी.एस.टी. पंजीकरण सहित अपने निजी पहचान के दस्तावेज (आधार कार्ड व पेन कार्ड) जमा कराने होंगे।
2. अन्तिम बोली की स्वीकृति के लिये निलामी समिति का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।
3. सबसे अधिक बोली लगाने वाले के नाम जलाऊ लकड़ी छोड़े जाने की स्वीकृति निलामी समिति द्वारा देने पर सम्बन्धित पार्टी/व्यक्ति को बोली की 25 प्रतिशत राशि उसी समय नकद जमा करानी होगी एवं शेष राशि तीन दिवस की अवधि में डी.डी. द्वारा जमा करानी होगी, अन्यथा जमा राशि जब्त कर पुनः निलामी की जा सकती है।
4. बिना कारण बताये नीलामी को निरस्त/स्थिगित करने का नीलामी समिति को पूर्ण अधिकार होगा।
5. सम्पूर्ण राशि नियमानुसार देय टैक्स (टी.सी.एस.) सहित जमा कराने के बाद नीलाम की गई लकड़ी को उपरोक्तानुसार अवधि में उठानी होगी।
6. नर्सरी खुण्डियास में सपेदा के खड़े पेड़ों की कटाई के समय नर्सरी पौधे तैयारी/निर्माण कार्य में कोई नुकसान नहीं करना होगा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(विजय शंकर पाण्डेय)
उप वन संरक्षक, नागौर

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

क्रमांक / न्याय / ज.सु.2025 / 948 दिनांकः—05.02.2026

प्रेषितिः—

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नागौर।

विषयः— पर्यावरण जनसुनवाई दिनांक 05.02.2026 के दौरान प्राप्त सहमति / सुझाव / आपत्तियां / अनापत्तियां / शिकायतों के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि M/s Ambuja Cement Limited के ब्लॉक PSB01, PSB 02, PSB06 & PSB07 के पर्यावरण जनसुनवाई स्थान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरीमा, तहसील नागौर तिथि दिनांक 05.02.2026 को उक्त चारों ब्लॉको हेतु श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय नागौर द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया गया।

उक्त चारों ब्लॉकों की पर्यावरण जनसुनवाई के दौरान कुल 27 सहमति / सुझाव / आपत्तियां / अनापत्तियां / शिकायते प्राप्त हुई है जो मूल ही इस पत्र के साथ संलग्न कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :—उपरोक्तानुसार चारो ब्लॉकों की कुल 27 मूल सहमति / सुझाव / आपत्तियां / अनापत्तियां / शिकायत—पत्र

05/2/26

(चम्पालाल जीनगर)
अति. जिला मजिस्ट्रेट,
नागौर

श्री गणेशाय नमः

RO
RPCB 1/09/-

(1)

सेवा में,

श्रीमान पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जयपुर व
श्रीमान ए० डी० एम० साहब नागौर -

विषय :- अंबुजा सिमेंट को पर्यावरण विभाग की स्वीकृति की जनसुनवाई के दौरान गाँव के पर्यावरण व विकास कार्यों की चर्चा व व्यवस्था बाबत -

महोदय जी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि इस ग्राम सीमा में आज (5.02.2026) से लगभग एक वर्ष पहले भी अंबुजा सिमेंट के एक ब्लॉक की पर्यावरण स्वीकृति की जनसुनवाई की कार्यवाही हुई थी। उसमें गाँव वाले किसान भाईयों ने पर्यावरण से सम्बन्धित विकास कार्य के लिए कम्पनी को बोला, उस वक्त कम्पनी ने आश्वासन दिया की हम यह विकास कार्य करवायेंगे पर धरातल पर कार्य हुए भी नहीं।

परन्तु आज फिर 5.02.2026 को ~~गाँव~~ कम्पनी की पर्यावरण की जनसुनवाई में गाँव वालों की तरफ से फिर से ग्रामीण विकास व पर्यावरण सुधार के लिए कुछ बातें लिख रहे हैं पर कम्पनी यह कार्य भी पिछली वर्ष की तरह पुरा करेगी या ग्रामीण विकास के लिए धरातल पर कार्य करेगी। अगर कार्य करेगी तो मैं गाँव वालों की ओर से कम्पनी से आशावादक चाहता हूँ की धरातल कार्य होवें। कम्पनी समय भी लिखित में दें एवं उस पेपर पर प्रशासनिक अधिकारीयों के (एडीएम साहब) हस्ताक्षर उक्त लिखित में दें

ग्रामीण विकास कार्य व पर्यावरण सुधार कार्य निम्न प्रकार से हैं

1. गाँव के गवाड़ का ~~सौंदर्यीकरण~~ (सौंदर्यकरण)
2. गाँव में सी०सी० रोड (मुख्यरास्ता) तथा आमरास्तों पर ब्लॉक लगवावें
3. गाँव की नाडी (पोखर) की गोलाकार खुदवाई व पक्का तला बनवावें।
4. गाँव में खुला बड़ा होद की रिपेयरिंग व गौशाला गायों के लिए पेयजल व्यवस्था करवायें।

5. गांव के स्कूल की सम्पूर्ण रिपेरिंग छत सहित करवावें।

6. गांव के जाड़ में राहगीरों व ग्रामिणों के लिए पेयजल हेतु प्याऊ बनि

7. गांव में 70-75 सोलर ऊर्जा लाईट लगवाने की व्यवस्था करें।

8. गांव के ग्रामिणों के स्वास्थ्य सुधार के लिए हॉस्पीटल की व्यवस्था करवावें

9. गांव के महादेव (शिव मन्दिर) की रिपेरिंग छत सहित तथा मन्दिर के आगे बरामदा व टिन शेड बनवावे।

10. सम्पूर्ण गांव के गन्दे पानी की निकासी के लिए सिवरेज लाईन की व्यव

11. गांव की नाड़ी के आसपास व अंगोर के चारों तरफ पेड़ पौधे लगवावें

12. कम्पनी जब कार्य शुरू करें तो परिवहन के लिए व अन्य वाहन कम्पनी ग्राम वासि को प्राथमिकता दें व ग्रामिण युवाओं को रोजगार दें।

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

Rakesh सरपंच

(2)

RO

RPCB

9 05/21

सेवा में,

ब्लॉक प्रभारी महोदय

अंबुजा सीमेंट

ब्लॉक

विषय: ग्राम खेतोलाव में आवश्यक विकास कार्य करवाने हेतु आवेदन।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हमारे ग्राम खेतोलाव में अंबुजा सीमेंट कंपनी का ब्लॉक कार्यरत है। ग्रामवासियों को यह आशा है कि कंपनी द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत ग्राम में कुछ आवश्यक विकास कार्य करवाए जाएंगे, जिससे आम जनता को सुविधा प्राप्त हो सके।

ग्राम खेतोलाव में वर्तमान में निम्नलिखित विकास कार्य अत्यंत आवश्यक हैं—

1. माताजी मंदिर परिसर में सीसी ब्लॉक निर्माण।
2. सार्वज़निक समाज भवन का निर्माण।
3. आम गवाड से शमशान भूमि तक पक्की सड़क का निर्माण।
4. शमशान भूमि की चार दिवारी निर्माण।
5. उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण।
6. गांव के तालाब का गहरीकरण, सफाई एंव जल संरक्षण हेतु पक्का कार्य।
7. गांव के विधालय में मरम्मत कार्य, स्वच्छता व्यवस्था तथा बच्चों की मूलभूत सुविधाओं का विकास।
8. सार्वजनिक शौचालय निर्माण।
9. ग्राम पंचायत गगवाना तक पक्की सड़क का निर्माण।
10. गांव के लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना।
11.

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त विकास कार्यों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर ग्राम खेतोलाव को लाभान्वित करने की कृपा करें। इसके लिए समस्त ग्रामवासी आपके आभारी रहेंगे।

धन्यवाद।

भवदीय,

समस्त ग्रामवासी, ग्राम-खेतोलाव

दलपत सिंह	गणेशदास	कैलाश
खेतसिंह	श्यामसिंह	
मगलाराम	महावीर सिंह	
नरेन्द्र सिंह	जितेन्द्र	
सुरेश	अमीतसिंह	
जबरसिंह	राजु	

RO
RPCB 1/05/14
(3)

सेवा में
श्रीमान अति० जिला कलेक्टर महो०
नागौर

विषय- विकास कार्य मे अम्बुजा सीमेंट को समर्थन देने हेतु।

मान्यवर,
विनम्र निवेदन है कि मे बरजा देवी जो कि हरिमा गाँव मे आंगनवाडी कार्यकर्ता हूं, मै अम्बुजा सीमेंट से गाँव के विकास हेतु हरघर मैं टांका बनवाने की मांग करती हूं तथा उन लोगों को प्राथमिकता मिले जो आर्थिक रूप से कमजोर है तथा समस्त रूपये का वहन कम्पनी द्वारा किया जावे।

मै अपने गांव के विकास हेतु कम्पनी को समर्थन देती हूं। बरजा देवी

R0
RPCB

(4)

सेवा में,

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय
नागौर (राजस्थान)

विषय — अम्बुजा सीमेन्ट कम्पनी को समर्थन देने हेतु बाबत।

मान्यवर,

नम्र निवेदन है कि मैं सुमन देवी जो कि आशा कार्यकर्ता (स्वास्थ्य) हूँ मैं चाहती हूँ कि हमारे हरिमा गाँव मै उपस्वास्थ्य केन्द्र बनाया जाये तथा उपस्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण तथा ANM की नियुक्ति भी की जावे क्यों कि गांव की गर्भवती महिलाऐ एंव बच्चों को दूसरी जगह दिखाने मै समय व पैसे बहुत लगते है इस हेतु हम अम्बुजा सीमेन्ट से निवेदन करते है कि इसमे सहयोग प्रदान करें।

इस हेतु मै अम्बुजा कम्पनी को अपना समर्थन हृदय से करती हूँ।

RO RSPCB

(5)

Subject: ______ 05/02/2026 Date: __/__/__

मानवीय,
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जिला - नागौर, राजस्थान

विषय - ग्राम - हरिमा की विकास कार्य के संबंध में आवेदन ।

महोदय,
सविनय निवेदन है कि समस्त हरिमा गांव के निवासी की ओर से निवेदन है कि - सड़क, पानी, स्वाथ, शिक्षा, सभी प्रकार कि समस्यों से लड़ रहा है हमारे गांव मे सड़क निर्माण, पानी के छेद, तालाबो का गहरीकरण तथा नवनीकरण, स्वासथ के लिए हस्पताल, एंव बेहतर शिक्षा के लिए - विद्यायलयो कि मरमत तथा, पुस्तकालय और कम्पुटर क्लास कि अवशाकता है आप से अनुरोध है कि अगर अम्बुजा फाउंडेशन द्वारा यह कार्य करवाये गये तो हम इनका समर्थन करेंगे ।

धन्यवाद ।

प्रार्थी
समस्त हरिमा
निवासी

(6)

RO RSPCB

05/02/2026

सेवा में,

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय
नागौर

विषय:- अम्बुजा सीमेंट के विकास में समर्थन देने हेतू।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं विनित शर्मा हरिमा निवासी हूं। हमारे गाँव की रोड बहुत ही टूटी हुई है और गांव की नालियां भी नही बनी हुई है जिससे सड़को एवं गलियो मे हर समय पानी भरा रहता है जिससे गाव में आने जाने वालो को चलने में बहुत ही परेशानी उठानी पड़ती है इसलिए गाँव मे सड़को एवं नालियों का काम किया जावे। जिससे गाँव का विकास हो सके।

अत: इस विकास कार्यों से हम अम्बुजा के विकास के समर्थन देते है।

भवदीय
विनित शर्मा

RO RSPCB
05/02/2026 (7)

में,

श्री मान कलेक्टर महोदय,
नागौर (राज०)

विषय :- अम्बुजा सिमेन्ट विकास हेतु समर्थन देने बाबत।

महोदय :- विनम्र निवेदन है कि मैं हरिमा ग्राम स्थित विद्यालय में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे विद्यालय में अम्बुजा फाउंडेशन द्वारा जो निर्माण कार्य कराया जा रहा है, उसके लिए मैं विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करती हूँ।

आपके सहयोग से विद्यालय की सुविधाओं में सुधार हो रहा है जिससे विद्यार्थियों को बेहतर एवं सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण प्राप्त होगा। यह कार्य शिक्षा के क्षेत्र में एक सराहनीय एवं प्रेरणादायक पहल है।

RO RSPCB
05/01/2026

(8)

सेवा मे,
माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय,
जिला - नागौर
राज्य - राजस्थान

विषय - विकास कार्य मे समर्थन - (अम्बुजा फाउंडेशन द्वारा) ।

महोदय,
अभी कुछ समय से अम्बुजा फाउंडेशन हमारे क्षेत्र मे कार्य कर रही । और हमारे हरिमा गाँव मे अभी तक 3 घरो मे पानी हौद बनवाने मे सहियोग किया, मैं हुकमा राम हरिमा का नीवासी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि और भी घरो मे पानी की होद मे सहियो प्रदान करे साथ ही घर-घर पानी कि सुवीधा हो सके ।

धन्यवाद ।

प्रार्थी
हुकमा
गाव - हरिमा

आंगणेश्वरायनमः

Ro RSPCB
05/02/2026

(9)

सेवा में,

श्रीमान पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जयपुर व
श्रीमान ए० डी० एम० साहब नागौर

विषय :- अम्बुजा सिमेंट को पर्यावरण विभाग की स्वीकृति की जनसुनवाई के दौरान गांव के पर्यावरण व विकास कार्यों की चर्चा व व्यवस्था बाबत

महोदय जी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि इस ग्राम सीमा में आज (5.02.20[illegible]) से लगभग एक वर्ष पहले भी अम्बुजा सिमेंट के एक ब्लॉक की पर्यावरण स्वीकृति की जनसुनवाई की कार्यवाही हुई थी। इसमें गांव वाले किसान भाईयों ने पर्यावरण से सम्बन्धित विकास कार्य के लिए कम्पनी को बोला, उस वक्त कम्पनी ने आश्वासन दिया की हम यह विकास कार्य करवायेंगे पर धरातल पर कार्य हुए भी नहीं।

परन्तु आज फिर 5.02.2026 को ~~गांव~~ कम्पनी की पर्यावरण की जनसुनवाई में गांव वालों की तरफ से फिर से ग्रामिण विकास व पर्यावरण सुधार के लिए कुछ बातें लिख रहे हैं पर कम्पनी यह कार्य भी पिछली वर्ष की तरह पुरा करेगी या ग्रामिण विकास के लिए धरातल पर कार्य करेगी। अगर कार्य करेगी तो मैं गाँव वालों की ओर से कम्पनी से आशावादक चाहता हूँ की कब तक कार्य होंगे। कम्पनी समय भी लिखित में दें एवं उस पेपर पर प्रशासनिक अधिकारीयों के (एडीएम साहब) हस्ताक्षर उस लिखित में दें

ग्रामिण विकास कार्य व पर्यावरण सुधार कार्य निम्न प्रकार से है।

1. गाँव के गवाड़ का सौंदर्यकरण (सौंदर्यकरण)
2. गाँव में सी०सी० रोड (मुख्यरास्ता) तथा आमरास्तों पर ब्लॉक लगवाये
3. गांव की नाडी (पोखर) की गोलाकार खुदवाई व पक्का तला बनवाये
4. गाँव में खुला बड़ा होद की रिपेरिंग व गौशाला गायों के लिए पेयजल

5. गांव के स्कूल की सम्पूर्ण रिपेरिंग छत सहित करवावें।
6. गांव के जोहड़ में राहगीरों व ग्रामिणों के लिए पेयजल के लिए प्याऊ का निर्माण
7. गांव में 70-75 सोलर ऊर्जा लाईट लगवाने की व्यवस्था करें।
8. गांव के ग्रामिणों के स्वास्थ्य सुधार के लिए हॉस्पीटल की व्यवस्था करवावें
9. गांव में महादेव (शिव मन्दिर) की रिपेरिंग छत सहित तथा मन्दिर के आगे बरामदा व टिन शेड लगवावें
10. सम्पूर्ण गांव में गन्दे पानी की निकासी के लिए सिवरेज लाईन की व्यवस्था करें।
11. गांव की नाड़ी के आसपास व अंगोर के चारों तरफ पेड़ पौधे लगवावें
12. कम्पनी जब कार्य शुरू करें तो परिवहन के लिए व अन्य वाहन कम्पनी ग्राम वासियों को प्राथमिकता दें व ग्रामिण युवाओं को रोजगार दें।

श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय
नागौर

विषय : अम्बुजा सीमेन्ट से CSR के तहत कार्य करवाने बा

महोदय जी,

उपरोक्त विषय मे निवेदन ग्राम खेंवर तहसील डेह मे स्थित ख.नं. 417 गैर मु. नाडी (काला नाडा) मे घाट पट्टा निर्माण करवाने जाने का श्रम करवाये ताकि पशुओ के वर्ष पर्यन्त पानी की सुविधा मिल सके। पास की ख. नं. 418 मे गौशाला संचालित है अतः घाट निर्माण से पानी की क्षमता बढ़ेगी और उपयोगी साबित होगी। सेवामे श्रीमान सादर।

सत्यनारायण
गणपतराम
रमेशशर्मा
रामेश्वर
गणपत खोजा
श्रवणराम
समन्द गाजनसी
रामप्रसाद
भवरलाल
9461185548
जीवनराम
...राम

(11)

RO RSPCB
05/02/2026

श्रीमान SDM महोदय,
नागौर,

विषय: ग्राम की समस्याओं के समाधान एवं विकास कार्य करवाने हेतू ।

मैं अनुराग कुड़ी गांव सोमणा से आज इस जन सुनवाई में आपका ध्यान मेरी गांव की ओर करना चाहता हूं आपके इस लाइन ब्लॉक में मेरे गांव के कई खेत आते हैं मुझे गर्व है कि हमारे खेत पहले देश के लिए अनाज दे रहे थे और आज इन्हीं खेतों में दबा हुआ खनिज भी देश के विकास के लिए काम आएगा ।
इस जनसुनवाई में अपने गांव की और से आपसे अनुरोध करता हूं कि आप यह हमारे गांव का ध्यान रखते हुए हमारे गांव की विकसित भारत कि राह पर विकसित गांव बनाएं ।
मेरी कुछ निम्नलिखित मांगे हैं जो गांव की ओर से हैं -
1 हमारे गांव के बच्चों के लिए स्कूल में एक लाइब्रेरी स्थापित की जाए ।
2 स्कूल में खेलकूद से संबंधित सामग्री झूले इत्यादि ।
3 गांव कि मुख्य सड़क का विकास हो और रोड लाइट व गांव के बाजार व मुख्य चौक में लाइट की व्यवस्था हो ।
4गांव के पास में डेह गांव के अंदर सामुदायिक अस्पताल के अंदर लैब से संबंधित उपकरण लगे जैसे सोनोग्राफी मशीन इत्यादि ।
जिस तरिके से Ranga जी nai Mundwa Ka wikas किया है. उसी तरिके से वे आपकी [illegible] [illegible] हमारे गांव के विकास।

अनुराग कुड़ी
9549999816

Anu. Ku.

(12)

Ro RSPCB
05/02/2018

- श्रीमान जी ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम- गगवाना खेतोलाव व सुरजनियावास तीनों गांवों को कम्पनी के द्वारा गोद लिया जावे ताकि गांवों का विकास हो सके।
- ग्राम पंचायत गगवाना को वर्ष 2020 में ODF (ओपन डेफिकेशन फ्री - खुले में शौच मुक्त) घोषित कर दिया गया था जबकि हकीकत यह है कि ग्राम पंचायत गगवाना की 80% आबादी खुले में शौच करती है अतः ग्राम- गगवाना, खेतोलाव व सुरजनियावास के प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण करवाया जाये।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पीने के स्रोत तालाब है जो कम वर्षा होने के कारण कुछ माहों में पानी सूख जाता है जिसके कारण यहां के लोगों को भीषण पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है अतः ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम- गगवाना, खेतोलाव व सुरजनियावास के प्रत्येक घर टांका (होद) का निर्माण करवाया जाये।
- ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम- गगवाना, खेतोलाव व सुरजनियावास के मूल निवासियों को कम्पनी में प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जावे।
- पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिये ग्राम पंचायत के समस्त गांवों की सड़कों के दोनों ओर व तालाबों विद्यालयों व गोचर भूमि में अधिक से अधिक पौधारोपण मय सुरक्षा

जाये।

शिक्षा

- ग्राम पंचायत गगवाना के समस्त गांवों के समस्त विद्यालयों के विकास हेतु कमरों का निर्माण टेबल-कुर्सी जिन विद्यालयों के चार दीवारी नहीं है उनके चार दीवारी निर्माण विद्यालयों में पानी-बिजली की समुचित व्यवस्था स्टाफ हेतु ओफिसियल कार्य हेतु टेबल-कुर्सी अलमारी की व्यवस्था मिड डे मिल के लिए राशन स्टोर किचन स्लेब व बर्तन जैसी समस्त उपयोगी व्यवस्था।
- विद्यार्थियों हेतु विद्यालयों को आवंटित खेलकुद के मैदानों को विकसित करवाना तथा खेलकुद मैदानों के चार दीवारी का निर्माण करवाना।

चिकित्सा

- ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम-खेतोलाव की कुल आबादी 1500 से अधिक है जो मजदूरी पर निर्भर है प्राथमिक उपचार हेतु ग्रामवासियों को दुसरे गांवों में जाना पड़ता है अतः ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाये।
- ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम-गगवाना खेतोलाव सुरजनियावास स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्रों में प्राथमिक उपचार हेतु उपयोग में आने वाले चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था की जावे।

बिजली

ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम- गगवाना खेतोलाव व सुरजनियावास के मुख्य स्थानों जैसे- विद्यालय उपस्वास्थ्य केन्द्र मन्दिर आम गवाड खेल मैदा. इत्यादि मे हाईमास्क लाईटे लगाई जावे।

सिवरेज

- ग्राम पंचायत के तीनों ग्रामो में सिवरेज लाईन डालने का कार्य किया जावे।

पार्क व जिम सेन्टर

- ग्राम पंचायत के ग्राम- खेतोलाव सुरजनियावास व गगवाना के मुख्यालय पर एक-2 पार्क विकसित किया जावे उसमे युवाओं के लिए समन्वित जिम सेन्टर भी स्थापित करे।

सड़के

- ग्राम पंचायत- गुगवाना के मुख्यालय जोड़ने हेतु ग्राम-खेतोलाव से गुगवाना तक डामर सड़क का निर्माण करवावें। तथा तीनो गांवों की ढाणियों को आपस मे जोड़ने वाले मार्गों का डामर सड़क या ग्रेवल सड़क का निर्माण करवावे। ग्राम पंचायत के तीनों गांवों के आबादी क्षेत्रों मे कीचड़ व जल भराव की समस्या के समाधान हेतु ब्लॉक व सीसी सड़को का निर्

पानी

- ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम खेतोलाव व सुरजनियावास की सरकारी ट्यूबवेल पिछले कई वर्षों से बन्द पड़ी है नई ट्यूबवेल खुदवाकर आमजन व पशुओं के लिए पानी की उचित व्यवस्था की जाये।
- गांवों में जहां-2 GLR नहीं है उन मौहल्लों में GLR का निर्माण करवाकर सरकारी ट्यूबवेल से जोड़ा जाये।
- पशुधन के लिए पानी पीने के लिए खेलियों का निर्माण किया जाये।
- ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण व पानी पीने का सबसे बड़ा स्रोत तालाब है तालाबों की खुदाई करके उनके चारों ओर दीवार व पेड़ों का निर्माण करवाया जाये।
- ग्राम- खेतोलाव व सुरजनियावास के लिए नहरी पानी हेतु बड़ी टंकी निर्माण करवाना जावे तथा प्रत्येक- दोनों गांवों की ढाणियों को नहरी पानी से जोड़ा जाये।

सार्वजनिक भवन व लाइब्रेरी

- ग्राम पंचायत गगवाना के तीनो गांवो के मुख्यालय पर एक-2 सार्वजनिक भवन व लाइब्रेरी का निर्माण करावे।

कृषि

- किसानों के लिए बेहतर फसल उत्पादन हेतु पौण्ड, ग्रीन हाउस व बूंद-2 सिंचाई हेतु एक काश्तकार को अधिक से अधिक हेक्टेयर पर अनुदान दिया जावें / राज्य सरकार की भांति कृषि यंत्रों के खरीद पर भी अनुदान दिया जावें। फसलों के बचाव हेतु मेड़बन्दी तारबन्दी में भी अनुदान दिया जावे ताकि फसल को जंगली सूअरो व आवारा पशुओं से सुरक्षा की जा सके। कृषि उपजाऊ भूमि हेतु किसानों को जैविक खाद व जिप्सम को अनुदान पर उपलब्ध करवाया जावे।

गौशाला

- गौवंश व आवारा पशु हेतु ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में गौशाला व चारा भण्डारण हेतु कमरों का निर्माण करवाया जावे।

महिला सशक्तिकरण हेतु

- ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम खेतोलाव व सुरजनिभावास में आंगनबाड़ी केन्द्र विद्यालयों में संचालित हो रहे है उनके लिए पृथक रूप से भवनों का निर्माण किया जावे। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर महिलाओं हेतु चिकित्सा सुविधा व सेनेटरीनेपकीन उपलब्ध करवाये

- ग्राम गगवाना के आंगनबाड़ी केन्द्र जो जर्जर अवस्था में है उनकी मरम्मत का कार्य करवाया जावे।

(13)

(1) ग्राम हरिमा के सभी मार्गों में सीसी रोड।

(2) प्रमुख चौराहों व गवाड़ का सौन्दर्यीकरण जिसमें गवाड़ में सार्वजनिक शौचालय व प्याऊ का निर्माण

(3) ग्राम हरिमा में उपस्वास्थ्य केन्द्र व पशु चिकित्सा केन्द्र

(4) सरकारी स्कूल में अतिरिक्त कक्ष व पुस्तकालय का निर्माण

(5) सार्वजनिक पुस्तकालय का निर्माण

(6) गाँव के युवाओं को स्कोलरशिप व कोचिंग सहायता

(7) हरिमा के चारो ओर ग्रीन बेल्ट विकसित करना।

(8) स्थानीय युवाओं को कम्पनी में रोजगार

(9) स्थानिय ठेकेदारों को काम में प्राथमिकता।

(10) महिलाओं को सिलाई, ब्यूटी पार्लर, खाद्य प्रसंस्करण आदि में प्रशिक्षण व रोजगार।

(11) वर्षाजल संग्रहण हेतु टांकों का निर्माण।

(12) ODF मुक्त गांव बनाने में सहयोग।

(13) खेल का स्टेडियम बनाया जाए जिसमें सभी आधुनिक सुविधाऐं हो।

(14) उत्कृष्ट खिलाड़ियों को कम्पनी स्पोन्सर करे।

निवेदन :- आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त मांगो को प्राथमिकता देते हुए मंझुजा सीमेन्ट परियोजना की जनसुनवाई में दर्ज किया जाए और कंपनी द्वारा CSR के तहत शीघ्र अमल में लाया जाए, जिससे क्षेत्र का समग्र विकास हो सके।

सादर
ग्राम हरिमा के समस्त ग्रामीणजन

(T4)

Ro RSPCB
05/02/2026

हरिमा गाँव के समग्र विकास हेतु निवेदन"

दिनांक: 05/02/2026

सेवा में,
प्रादेशिक अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
नागौर।

विषय: अंबुजा सीमेंट लिमिटेड की खनन परियोजना की जनसुनवाई के सन्दर्भ में हरीमा क्षेत्र की समस्त ढाणियों और गाँवों की विस्तृत जनहितकारी माँगें।

महोदय,

ग्राम हरीमा, एवं कृपा की ढाणियों के समस्त ग्रामीणों की ओर से हम अंबुजा सीमेंट कंपनी का आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने CSR के अंतर्गत समाजहित में सराहनीय कार्य ~~किये~~ है। करवाये जायेंगे।

हम आशा करते हैं कि यह सहयोग और सहभागिता आगे भी निरंतर बनी रहेगी।

🙏 ग्रामवासियों का सामूहिक निवेदन 🙏

हम निम्नलिखित 40+ बिंदुओं के माध्यम से क्षेत्रीय विकास के लिए आवश्यक माँगें आपके समक्ष रख रहे हैं:

1.. हरीमा से जिंदास तक डामर रोड का निर्माण।
2. ग्राम हरीमा की सभी गलियों में सीसी रोड।
3. प्रमुख चौराहों व गवाड़ का सौंदर्यकरण।
4. हरीमा व इसके आस पास के गांवों को जोड़ने वाली सड़कों का मजबूतीकरण।
5. ग्राम हरीमा में पशु चिकित्सा केंद्र

5-A - ग्राम हरीमा से ग्राम पिथासिया तक ग्रेवल सड़क का डामीकरण करवाना।

6. ग्राम हरीमा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना।

7. मोबाइल मेडिकल यूनिट की तैनाती।

8. मातृ-शिशु केंद्रों की स्थापना।

9. जलजनित रोगों से बचाव हेतु RO प्लांट की स्थापना।

10. महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन व स्वास्थ्य जागरूकता शिविर।

11. सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष व पुस्तकालय का निर्माण।

12. स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब एवं प्रोजेक्टर की सुविधा।

13. गाँव के युवाओं को स्कॉलरशिप व कोचिंग सहायता।

14. लड़कियों को अलग लाइब्रेरी व डिजिटल शिक्षा केंद्र।

15.हरीमा के चारों ओर ग्रीन बेल्ट विकसित करना

16. युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग व मार्गदर्शन।

17. वर्तमान में चल रही CSR योजनाओं का और अधिक विस्तार किया जाए जिससे अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो सके।

18. स्थानीय युवाओं को कंपनी में प्राथमिकता से रोजगार।

19. स्थानीय ठेकेदारों को कार्यों में प्राथमिकता।

20. महिलाओं को सिलाई, ब्यूटी पार्लर, खाद्य प्रसंस्करण आदि में प्रशिक्षण व रोजगार।

21. आत्मनिर्भरता हेतु स्वयं सहायता समूहों को सहयोग।

22. बुजुर्गों के लिए मासिक सहायता योजना।

23. सभी ढाणियों में नहरी पानी की सप्लाई के लिए बूस्टर सिस्टम।

24. सोलर पैनल लगाने हेतु आर्थिक सहयोग।

25. जल निकासी हेतु आधुनिक सीवरेज सिस्टम।

26. वर्षाजल संग्रहण हेतु टांकों का निर्माण।

27. गाँव के प्रमुख जगहों पर प्याऊ निर्माण

28. हरीमा की गौशाला में बारहमासी चारा, पानी, टीन शेड और बिजली व्यवस्था।

29. पशुपालकों के लिए नि:शुल्क दवा शिविर।

30. गरीब परिवार के बच्चों के शिक्षण में आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना।

31. खेल स्टेडियम का निर्माण जिसमें पिच, लाइट, बैठने की व्यवस्था।

32. इंडोर स्टेडियम जिसमें जिम की सुविधा हो।

32(B) ग्राम मे ग्रीन हाउस का निर्माण करवाया जावे। (सभी प्रगतिशील किसानों को दिया जावे)

33. खिलाड़ियों को किट व कंपनी द्वारा प्रायोजन।

34. पारंपरिक सांस्कृतिक केंद्र / ओपन एयर थिएटर की स्थापना।

35. योग केंद्र व फिटनेस सेंटर।

36. सभी मंदिरों व देवस्थानों का जीर्णोद्धार।

37. शमशान भूमि में टिन शेड व बिजली।

38. नाथ समाज के नए व पुराने वाले समाधि स्थल का विकास में सहयोग करें।

39. सामुदायिक भवनों का निर्माण/मरम्मत।

40. ग्राम हरीमा में खारे पानी की ट्यूबवेल करवाने में सहायता करे जिससे हर घर में सुचारू रूप से पानी मिलता रहे।

41. आंगनवाड़ी केंद्रों में कक्ष व फर्नीचर।

42. वृक्षारोपण अभियान का संचालन।

43. पर्यावरण सुरक्षा हेतु जागरूकता कार्यक्रम।

44. प्रत्येक ढाणी में सोलर स्ट्रीट लाइट्स।

45. मोबाइल नेटवर्क व इंटरनेट कनेक्टिविटी की स्थिति बेहतर की जाए।

46- पढ़े लिखे युवको को अनुपात के आधार पर नोकरी देना।

47- छोटे एवं प्रगतिशील किसानों के लिए विशेष बजट का प्रावधान करना एवं डिग्गियां एवं होदो का निर्माण करवाना।

निवेदन:

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त माँगों को प्राथमिकता देते हुए अंबुजा सीमेंट परियोजना की जनसुनवाई में दर्ज किया जाए और कंपनी द्वारा CSR के तहत शीघ्र अमल में लाया जाए, जिससे क्षेत्र का समग्र विकास हो सके।

सादर,

ग्राम हरिमा के समस्त ग्रामीणजन

🙏 धन्यवाद 🙏

[signatures] उदाराम, जालमसिंह, दिलीप सिंह, पुखराज

(15)

Ro RSPCB
05/02/2026

हमारा सपना – विकसित हरीमा

दिनांक: 05/02/2026

सेवा में,
प्रादेशिक अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
नागौर।

विषय: अंबुजा सीमेंट लिमिटेड की खनन परियोजना की जनसुनवाई के सन्दर्भ में ग्राम हरीमा की विस्तृत माँगें।

महोदय,

ग्राम हरिमा के समस्त ग्रामवासियों की ओर से हम अंबुजा कंपनी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने CSR के तहत गांव में जनहितकारी कार्य जैसे - टांका निर्माण, सीवरेज लाइन।इत्यादि

इन प्रयासों से गाँव में शिक्षा, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और विकास को नई दिशा मिली है। हम आशा करते हैं कि यह सहयोग आगे भी इसी तरह बना रहेगा।

ग्राम हरिमा परिवार की ओर से धन्यवाद सहित।

🙏 विनम्र आग्रह

इसी सकारात्मक सहयोग के क्रम में ग्रामवासी निम्नलिखित मांगें आपके समक्ष रखना चाहते हैं, जिन्हें पूरा कराना अति आवश्यक है:

1. कम्पनी के वाहनों द्वारा हरीमा के मुख्य मार्ग का उपयोग किया जा रहा है उस संपूर्ण मार्ग पर सीसी रोड़ का निर्माण किया जाए।
2. गांव के समस्त मंदिरों का जीर्णोद्वार करवाया जाए।
3. गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाए।
4. गंदे पानी की निकासी हेतु सीवरेज सिस्टम का प्रबंध किया जाए।

5. युवाओं को कंपनी में रोजगार दिया जाए।
6. गाँव के स्थानीय लोगों को कंपनी के कार्यों में ठेके दिए जाए।
7. गांव में खेल का स्टेडियम बनाया जाए और उसमें लाइट की व्यवस्था की जाए।
8. गांव की समस्त गलियों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाए।
9. खेलों को बढ़ावा देने के लिए गांव के खिलाड़ियों को कंपनी द्वारा स्पॉन्सर किया जाए।
10. गांव में लड़कों व लड़कियों के लिए अलग-अलग आधुनिक लाइब्रेरी बनाई जाए।
11. गांव की गौशाला में बारह महीने तक चारे पानी की तथा गौशाला में टीन शेड का निर्माण किया जाए।
12. गांव में जलाशयों की मरम्मत की जाए तथा गांव की नाड़ी का सौंदर्यकरण किया जाए।
13. शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु स्कूल में नए कमरों का निर्माण एवं बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि दी जाए।
14. महिलाओं को रोजगार के उचित अवसर उपलब्ध करवाए जाएँ।
15. गरीबों के लिए वर्षा जल संग्रहण हेतु टांकों का निर्माण तथा अन्य को सहायता राशि दी जाए।
16. गरीबों के लिए मकान बनवाने में सहायता दी जाए।
17. सभी जातियों की शमशान भूमि में टीन शेड लगवाया जाए।
18. नहरी पानी की हर घर तक सप्लाई हेतु बूस्टर की व्यवस्था की जाए।
19. गांव में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था की जाए तथा घरों में सोलर पैनल लगाने हेतु सहयोग राशि दी जाए।
20. क्रिकेट खिलाड़ियों हेतु किट, मैदान में पिच एवं लाइट की व्यवस्था की जाए।
21. आंगनवाड़ी में 2 कमरे बनवाकर फर्नीचर एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाएं।
22. हरीमा में गवाड़ का सौंदर्यकरण किया जाए।
23. हरिमा की सभी मुख्य गलियों में सीसी रोड का निर्माण किया जाए।
24. गाँव के प्रमुख चौक चौराहों का सौंदर्यकरण किया जाए।
25. गाँव के सरकारी विद्यालय में इंडोर स्टेडियम बनाया जाए जिसमें जिम भी हो।

आपसे निवेदन है कि उपरोक्त सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत कर शीघ्र क्रियान्वित किया जाए ताकि ग्राम हरिमा एवं कृपा की ढाणियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके।

सुगननाथ

प्रहलादनाथ

जवरीनाथ

श्यामराम

केवल चन्द

Manvendra Singh

Bharat Nath

(16)

Ro RSPCB
05/02/2026

हमारा सपना – विकसित हरीमा

दिनांक: 5/2/26

सेवा में,

प्रादेशिक अधिकारी,

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

नागौर।

विषय: अंबुजा सीमेंट लिमिटेड की खनन परियोजना की जनसुनवाई के सन्दर्भ में ग्राम हरीमा की विस्तृत माँगें।

महोदय,

ग्राम हरिमा के समस्त ग्रामवासियों की ओर से हम अंबुजा कंपनी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने CSR के तहत गांव में जनहितकारी कार्य जैसे - टांका निर्माण, सीवरेज लाइन।इत्यादि

इन प्रयासों से गाँव में शिक्षा, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और विकास को नई दिशा मिली है। हम आशा करते हैं कि यह सहयोग आगे भी इसी तरह बना रहेगा।

ग्राम हरिमा परिवार की ओर से धन्यवाद सहित।

🙏 विनम्र आग्रह

इसी सकारात्मक सहयोग के क्रम में ग्रामवासी निम्नलिखित मांगें आपके समक्ष रखना चाहते हैं, जिन्हें पूरा कराना अति आवश्यक है:

1. कम्पनी के वाहनों द्वारा हरीमा के मुख्य मार्ग का उपयोग किया जा रहा है उस संपूर्ण मार्ग पर सीसी रोड़ का निर्माण किया जाए।
2. गांव के समस्त मंदिरों का जीर्णोद्वार करवाया जाए।
3. गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाए।
4. गंदे पानी की निकासी हेतु सीवरेज सिस्टम का प्रबंध किया जाए।

5. युवाओं को कंपनी में रोजगार दिया जाए।
6. गाँव के स्थानीय लोगों को कंपनी के कार्यों में ठेके दिए जाए।
7. गांव में खेल का स्टेडियम बनाया जाए और उसमें लाइट की व्यवस्था की जाए।
8. गांव की समस्त गलियों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाए।
9. खेलों को बढ़ावा देने के लिए गांव के खिलाड़ियों को कंपनी द्वारा स्पॉन्सर किया जाए।
10. गांव में लड़कों व लड़कियों के लिए अलग-अलग आधुनिक लाइब्रेरी बनाई जाए।
11. गांव की गौशाला में बारह महीने तक चारे पानी की तथा गौशाला में टीन शेड का निर्माण किया जाए।
12. गांव में जलाशयों की मरम्मत की जाए तथा गांव की नाड़ी का सौंदर्यकरण किया जाए।
13. शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु स्कूल में नए कमरों का निर्माण एवं बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि दी जाए।
14. महिलाओं को रोजगार के उचित अवसर उपलब्ध करवाए जाएँ।
15. गरीबों के लिए वर्षा जल संग्रहण हेतु टांकों का निर्माण तथा अन्य को सहायता राशि दी जाए।
16. गरीबों के लिए मकान बनवाने में सहायता दी जाए।
17. सभी जातियों की शमशान भूमि में टीन शेड लगवाया जाए।
18. नहरी पानी की हर घर तक सप्लाई हेतु बूस्टर की व्यवस्था की जाए।
19. गांव में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था की जाए तथा घरों में सोलर पैनल लगाने हेतु सहयोग राशि दी जाए।
20. क्रिकेट खिलाड़ियों हेतु किट, मैदान में पिच एवं लाइट की व्यवस्था की जाए।
21. आंगनवाड़ी में 2 कमरे बनवाकर फर्नीचर एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाएं।
22. हरीमा में गवाड़ का सौंदर्यकरण किया जाए।
23. हरिमा की सभी मुख्य गलियों में सीसी रोड का निर्माण किया जाए।
24. गाँव के प्रमुख चौक चौराहों का सौंदर्यकरण किया जाए।
25. गाँव के सरकारी विद्यालय में इंडोर स्टेडियम बनाया जाए जिसमें जिम भी हो।

आपसे निवेदन है कि उपरोक्त सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत कर शीघ्र क्रियान्वित किया जाए ताकि ग्राम हरिमा एवं कृपा की ढाणियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके।

सुगननाथ

प्रहलादनाथ

Bharat Nath

(57)

Ro RSPCB
05/02/2026

सेवा में,

प्रादेशिक अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
नागौर

विषय: अंबुजा सीमेंट लिमिटेड की जनसुनवाई हेतु ग्राम की प्रमुख माँगों के संदर्भ में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम हरीमा के ग्रामवासी, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना के संबंध में निम्नलिखित माँगें प्रस्तुत करते हैं। इन मांगों का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा, ग्रामवासियों के अधिकारों की सुरक्षा तथा स्थायी विकास सुनिश्चित करना है:

- 1. स्थानीय लोगों को प्राथमिकता से रोजगार: खनन, ट्रांसपोर्ट, सुरक्षा, सफाई आदि में गाँव के युवाओं को प्राथमिकता दी जाए ।
- 2. CSR (कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) से ग्राम विकास: स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षा सुविधा, पीने का पानी, सड़क और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाएँ। CSR के तहत हरीमा में निम्नलिखित कार्य करवाए जाए
- 3. पर्यावरणीय और भूजल सुरक्षा: खनन शुरू करने से पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए तथा गारंटी दी जाए कि जलस्तर, खेती और पशुपालन पर दुष्प्रभाव नहीं होगा।
- 4. पारदर्शी और समयबद्ध मुआवज़ा: प्रभावित परिवारों को उचित मुआवज़ा और वैकल्पिक जीविका के साधन उपलब्ध कराए जाएँ।
- 5. ग्राम निगरानी समिति का गठन: ग्राम स्तर पर एक समिति का गठन हो, जो खनन कार्यों पर निगरानी रखे तथा कंपनी के साथ नियमित संवाद में हो।
- 6. ग्रामसभा की सहमति अनिवार्य हो: परियोजना स्वीकृति से पूर्व ग्रामसभा की लिखित सहमति ली जाए और कंपनी हर वर्ष ग्रामसभा को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
- 7. ट्रक/वाहनों का नियंत्रण: भारी वाहनों की गति, संख्या और समय पर नियंत्रण रखा जाए ताकि गाँव की सुरक्षा बनी रहे।

अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त सभी माँगों को ध्यान में रखते हुए ही परियोजना को स्वीकृति दी जाए। ग्रामवासियों की सहमति के बिना कोई कार्य प्रारंभ न किया जाए।

भवदीय,

[ग्रामवासियों की ओर से]

[ग्राम का नाम] – हरिमा

दिनांक 05/02/2026

Manvendra Singh

कोतराम

रामअवतार

मोहनलाल नाथ

ओ नारायण

[illegible]

[illegible]

रामपाल

भगाराम

[illegible]

बजरंग नाथ

भगवान शर्मा पंडित जी

टारमा

प्रेमसिंह

Vikesh

[illegible]

[illegible]

हरीकिशन शर्मा

(18)

सेवा में

RO RSPCB
05/01/2016

प्रादेशिक अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
नागौर (राज.)

विषय:- अम्बुजा सीमेन्ट की खनन परियोजना में निम्न लिखित मांगों को पूरा किया जाए।

महोदय:- हम समस्त ग्राम वासी अम्बुजा सीमेन्ट से निम्न लिखित मांगे करते है, जिन्हें जल्द से जल्द पुरा किया जाए

(1) गांव के सभी सरकारी विद्यालयों का विकास हो।
(2) रोड लाईट लगाई जाए।
(3) नाड़ी का सौन्दर्यीकरण किया जाए।
(4) सीवरेज लाईन को लेवल के अनुसार (ढलान) के लगायी जाए।
(5) हरित क्षेत्र विकसित किया जाए।
(6) ब्लास्टिंग को नियंत्रित किया जाए, तथा इससे होने वाले नुकसान की भरपाई की जाए।
(7) किसानों के खेतों में डिग्गी बनाई जाए।
(8) गवाड़ को विकसित किया जाए।

(9) किसानों को ड्रिप - ~~[illegible]~~ सिंचाई में सहायता दी जाए।

(10) शिक्षा क्षेत्र मे विकास के लिए एक 150 सीट की लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए।

(11) खेल क्षेत्र में विकास के लिए एक अत्यंत आधुनिक सुविधा युक्त खेल स्टेडियम का निर्माण हो। जिसमें सभी खेलों के मैदान व खेल सामग्री उपलब्ध हो।

(12) हमारी प्रमुख मॉंग यह है कि जैव विविधता का पूर्णतया संरक्षण हो।

(13) स्थानीय क्षेत्र के लोगो का प्रमुख व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन है इसलिए किसानो को बीज, उर्वरक व अन्य सुविधाएँ दी जाए। तथा पशुपालन के सम्बंध मे चारागाह क्षेत्र आंवटित किये जाए।

(14) आम आदमी की छः मुलभुत आवश्यकताओ को पूर्ण किया जाए - (1) आय (2) शिक्षा (3) स्वास्थ्य (4) जल (5) ~~[illegible]~~ (5) आवास + (6) जीवन-प्रत्याशा।

(15) गॉंव के मध्य सामुदायिक भवन का नवनिर्माण करवाये जाये।

(16) स्थानीय विद्यालय जो कक्षा 8वी तक है उसे 12वी तक क्रमोन्नत करे। विद्यालय मे (जल मंदिर, कम्प्युटर लैब व सभी संकाय की व्यवस्था की जाए।

(17) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण हो।

(18) पशु चिकित्सा केन्द्र का निर्माण।

(19) स्थानीय लोगों को योग्यता के अनुसार रोजगार में प्राथमिकता दी जाए।

(20) वर्षा जल संरक्षण को बढावा दिया जाए।

(21) औद्योगीकरण का विकास सतत पोषणीय विकास की ~~परिभाषा~~ परिभाषा को ध्यान मे रखते हुए हो।

दि: 5/2/26

(13)

दिनांक = 05/02/2025

RO RSPCB
05/02/2025

सेवा में,

प्रादेशिक अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
नागौर

विषय = अंबुजा सीमेन्ट की खनन परियोजना की जनसुनवाई के सन्दर्भ में हरिमा क्षेत्र की समस्त ढाणियों और गांवो की विस्तृत जनहितकारी मांगे।

महोदय, ग्राम हरिमा के समस्त ग्रामीणों की ओर से हम अंबुजा कंपनी का आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने CSR के अंतर्गत समाजहित में सराहनीय कार्य जैसे:- हौद निर्माण, सीवरेज लाईन, नेत्र शिविर इत्यादि प्रारम्भ किया है। हम आशा करते हैं कि यह सहयोग और सहभागिता आगे भी निरंतर बनी रहेगी।

ग्रामवासियो का सामुहिक निवेदन हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से क्षेत्रिय विकास के लिए आवश्यक मांगे आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं,

Ro RSPCB
05/12/2018

(20)

ग्राम- खेतोलाव की मांग

(1) विधालय की चार दीवारी को पुरा करने हेतु।

(2) विधालय में टाँके व कमरों का निमार्ण करवाये।

(3) ग्राम में ट्यूबवल की खुदाई व G.L.R. का निर्माण करवाये।

(4) ग्राम में गरीबो के टांको का निर्माण करवाये

(5) ग्राम में रोड लाईट की व्यवस्था करे।

(6) सभी जातियों के श्मशान भूमि के चारों ओर चारदीवारी बनवाये।

(7) बूद-बूंद की सिन्चाई ड्रिप मे सब्सिडी देने की कृपा करे।

(8) ग्राम में सामुदायिक भवन का निर्माण करवाये

(9) ग्राम में शौचालय निर्माण की राशि दी जाये

(10) ग्राम में शिक्षित छात्राओं को कम्पनी में रोजगार देने की कृपा करे

हस्ताक्षर

Kailash

अर्जुनदास

9783273896

9024415856

RO RSPCB
05/02/2026

(21)

कार्यालय ग्राम पंचायत सरासनी

बीना कंवर
प्रशासक
ग्राम पंचायत सरासनी

पंचायत समिति – नागौर

Mob. : 9828897555

क्रमांक

दिनांक 05/02/2026

सेवा में,

श्रीमान प्रबंधक महोदय जी

श्री अड़ानी सीमेंट /अपर कलेक्टर महोदय

नागौर

विषय :- जनसुनवाई में निम्न मांगों के संबंध में !

महोदय जी आपसे निवेदन है कि हमारे नागौर क्षेत्र में अड़ानी सीमेंट लिमिटेड कंपनी के द्वारा पर्यावरण से संबंधित जन सुनवाई की जा रही है जिसके अंतर्गत प्रभावित ग्राम हरिमा, सरासनी, खेतोलावं, पिथासिया, वे सोमणा आ रहे हैं अतः हम क्षेत्रवासी अपने अधिकारों और हितों की रक्षा हेतु निम्नलिखित मांग आपके समक्ष रखते हैं :-

1. गौशाला संचालन हेतु संपूर्ण सहायता दी जाए!
2. ग्राम पंचायत सरासनी के निवासियो की संपूर्ण चिकित्सा निशुल्क करवाना एवं जिसमें डिस्पेंसरी से लेकर हायर सेंट्रल हॉस्पिटल अस्पताल तक की निशुल्क चिकित्सा इलाज (सरकारी/गैर सरकारी अस्पताल दोनों) करवाया जाए!
3. शिक्षा के लिए सहयोग व मॉडल स्कूल की व्यवस्था, शिक्षा के साथ-साथ खेलकूद के लिए प्रमोशन एवं बच्चों के लिए खेल मैदान की पूर्ण व्यवस्था पूर्ण सुविधा के साथ की जावे!
4. ग्राम पंचायत सरासनी में पेयजल हेतु हर घर टांका निर्माण (15000 लिटर क्षमता) का करवाया जाए!
5. ग्राम पंचायत सरासनी में सार्वजनिक सीसी ब्लॉक खुर्रा मय नाली निर्माण सीवरेज निर्माण सीसी रोड मोहल्ले वाईज करवाई जाए !

[signature] 05.02.26

प्रशासक
ग्राम पंचायत सरासनी
पं.स.नागौर

कार्यालय ग्राम पंचायत सरासनी

बीना कंवर
प्रशासक
ग्राम पंचायत सरासनी

पंचायत समिति – नागौर

Mob. : 9828897555

क्रमांक

दिनांक 05/02/2026

6. ग्राम पंचायत सरासनी के ग्रामीणों को व्यापार एवं रोजगार ग्राम को प्रथम वरीयता के अनुसार दिया जाए!
7. गांव में धार्मिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी में आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाए
8. गांव में वृक्षारोपण लगाकर सौंदर्यकरण किया जाए!
9. गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट की सुविधा मोहल्ले वाइज की जावे तथा आमगवाड में एक बड़ी हाई मास्क लाइट लगवाई जाए!
10. ग्राम पंचायत सरासनी को जैविक खेती की तरफ बढ़ावा दिया जाए दुग्ध उत्पादन हेतु सुविधा दी जाए!
11. ग्राम पंचायत सनी को अंग्रेजी बबुल मुक्त करवाया जाने में सहायता प्रदान की जाए!
12. ग्राम पंचायत मे लाइब्रेरी एव कम्प्यूटर लेब बनाया जाये

प्रस्तावित परियोजना से हमारे गांव का विकास होगा वह प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण बंधुओ का जीवन स्तर बढ़ेगा इसी आशा के साथ निवेदन है कि हमारे उपयुक्त मांगे पूर्ण करवाने के महान कृपा करें! हमारा सहयोग सदा बना रहेगा!

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे उपरोक्त मांगों को अति शीघ्र धरातल पर उतरने की कृपा करें!

हमारा सहयोग बना रहेगा हम इसका पूर्णतया समर्थन करते है

प्रशासक
ग्राम पंचायत सरासनी
पं.स. नागौर

(22)

RO RSPCB
05/10/2021

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय
जिला - नागौर (राज.)

विषय - ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम - गगवाना, खेतोलाव सुरजनियावास गांवों में निम्नलिखित विकास कार्य करवाने के संबंध में।

- श्रीमान जी ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम - गगवाना खेतोलाव व सुरजनियावास तीनों गांवों को कम्पनी के द्वारा गोद लिया जावे ताकि गांवों का विकास हो सके।
- ग्राम पंचायत गगवाना को वर्ष 2020 में ODF (ओपन डेफिकेशन फ्री - खुले में शौच मुक्त) घोषित कर दिया गया था जबकि हकीकत यह है कि ग्राम पंचायत-गगवाना की 80% आबादी खुले में शौच करती है अतः ग्राम - गगवाना, खेतोलाव व सुरजनियावास के प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण करवाया जाये।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पीने के स्त्रोत तालाब है जो कम वर्षा होने के कारण कुछ माहो में पानी सूख जाता है जिसके कारण यहां के लोगों को मीठा पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है अतः ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम - गगवाना, खेतोलाव व सुरजनियावास के प्रत्येक घर टांका (होद) का निर्माण करवाया जाये।
- ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम - गगवाना, खेतोलाव व सुरजनियावास के मूल निवासियों को कम्पनी में प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाये।
- पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिये ग्राम पंचायत के समस्त गांवों की सड़कों के दोनों ओर व तालाबों विद्यालयों व गोचर भूमि में अधिक से अधिक पौधारोपण मय सुरक्षा

की जाये।

शिक्षा

- ग्राम पंचायत गगवाना के समस्त गांवों के समस्त विद्यालयों के विकास हेतु कमरों का निर्माण टेबल-कुर्सी जिन विद्यालयों के चार दीवारी नहीं है उनके चार दीवारी निर्माण विद्यालयों में पानी-बिजली की समुचित व्यवस्था स्टाफ हेतु ओफिसियल कार्य हेतु टेबल-कुर्सी अलमारी की व्यवस्था मिड डे मिल के लिए राशन स्टोर किचन स्लेब व बर्तन जैसी समस्त उपयोगी व्यवस्था।
- विद्यार्थियों हेतु विद्यालयों को आवंटित खेलकुद के मैदानों को विकसित करवाना तथा खेलकुद मैदानों के चार दीवारी का निर्माण करवाना।

चिकित्सा

- ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम-खेतोलाव की कुल आबादी 1500 से अधिक है जो मजदूरी पर निर्भर है प्राथमिक उपचार हेतु ग्रामवासियों को दूसरे गांवों में जाना पड़ता है अतः ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाये।
- ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम-गगवाना खेतोलाव सुरजनियावास स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्रों में प्राथमिक उपचार हेतु उपयोग में आने वाले चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था की जावे।

बिजली

- ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम-गगवाना, खेतोलाव व सुरजनियावास के मुख्य स्थानों जैसे- विद्यालय उपस्वास्थ्य केन्द्र मन्दिर आम गवाड़ खेलमैदान इत्यादि में हाईमास्क लाईटें लगाई जावे।

सिवरेज

- ग्राम पंचायत के तीनों ग्रामों में सिवरेज लाईन डालने का कार्य किया जावे।

पार्क व जिम सेन्टर

- ग्राम पंचायत के ग्राम-खेतोलाव, सुरजनियावास व गगवाना के मुख्यालय पर एक-2 पार्क विकसित किया जावे उसमे युवाओं के लिए समन्वित जिम सेन्टर भी स्थापित करें।

सड़के

- ग्राम पंचायत गुगवाना के मुख्यालय जोड़ने हेतु ग्राम-खेतोलाव से गुगवाना तक डामर सड़क का निर्माण करवावें। तथा तीनो गांवों के ग्रामियों को आपस में जोड़ने वाले मार्गों का डामर सड़क या ग्रेवल सड़क का निर्माण करवावें। ग्राम पंचायत के तीनों गांवों के आबादी क्षेत्रों में कीचड़ व जल भराव की समस्या के समाधान हेतु ब्लॉक व सीसी सड़कों का निर्माण

पानी

- ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम खेतोलाव व सुरजनियावास की सरकारी ट्यूबवैल पिछले कई वर्षों से बन्द पड़ी है नई ट्यूबवैल खुदवाकर आमजन व पशुओं के लिए पानी की उचित व्यवस्था की जाये।
- गांवों में जहां-2 GLR नहीं है उन मोहल्लों में GLR का निर्माण करवाकर सरकारी ट्यूबवैल से जोड़ा जाये।
- पशुधन के लिए पानी पीने के लिए खेलियों का निर्माण किया जाये।
- ग्रामीण क्षेत्रों में ~~ख~~ जल संरक्षण व पानी पीने का सबसे बड़ा स्त्रोत तालाब है तालाबों की खुद लेकर उनके चारों ओर दीवार व पट्टों का निर्माण करवाया जाये।
- ग्राम- खेतोलाव व सुरजनियावास के लिए नहरी पानी हेतु बड़ी टंकी निर्माण करवाया जावे तथा प्रत्येक दोनों गांवों की ढाणियों को नहरी पानी से जोड़ा जाये।

सार्वजनिक भवन व लाइब्रेरी

- ग्राम पंचायत गगवाना के तीनों गांवों के मुख्यालय पर एक-2 सार्वजनिक भवन व लाइब्रेरी का निर्माण करावें।

कृषि

- किसानों के लिए बेहतर फसल उत्पादन हेतु पॉण्ड, ग्रीन हाऊस व बूंद-2 सिंचाई हेतु एक काश्तकार को अधिक से अधिक हेक्टेयर पर अनुदान दिया जावें / राज्य सरकार की भांति कृषि यंत्रों के खरीद पर भी अनुदान दिया जावें / फसलों के बचाव हेतु मेड़बन्दी तारबन्दी में भी अनुदान दिया जावे ताकि फसल को जंगली सूअरों व आवारा पशुओं से सुरक्षा की जा सके / कृषि उपजाऊ भूमि हेतु किसानों को जैविक खाद व जिप्सम को अनुदान पर उपलब्ध करवाया जावे /

गौशाला

- गौवंश व आवारा पशु हेतु ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में गौशाला व चारा भण्डारण हेतु कमरों का निर्माण करवाया जावे /
- ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम गगवाना, खेतोलाव, सुरजनिया तीनों के सर्व समाज के स्थित श्मशान भूमि के चारों तरफ चारदीवारी निर्माण कार्य करावें।

महिला सशक्तिकरण हेतु

- ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम-खेतोलाव व सुरजनियावास में आंगनबाड़ी केन्द्र विद्यालयों में संचालित हो रहे हैं उनके लिए पृथक रूप से भवनों का निर्माण किया जावे।
आंगनबाड़ी केन्द्रों पर महिलाओं हेतु चिकित्सा सुविधा व सेनेटरीनेपकीन उपलब्ध करवावे
- ग्राम गगवाना के आंगनबाड़ी केन्द्र जो जर्जर अवस्था में है उनकी मरम्मत का कार्य करवाया जावे।

ओंकाराम (पूर्व सरपंच प्रतिनिधि गगवाना)
राधाकिशन
दिनेश बाजा (9001088051)
सहीराम
हरेन्द्र बाजा
हरेन्द्र
रतनसिंह भाटी
महेन्द्रसिंह भाटी
जगदीश
भगिराम
महेन्द्र
किशनाराम
रामरतन
मानसिंह
हरसुखराम
महेन्द्र
हरसुखराम
हरसुखराम
जीतुराम
पूर्व सरपंच गगवाना

जयपाल खोजा
9772438203
महिपाल ईनाणियाँ
9982344469
ओमप्रकाश खोजा
9982983798
सहदेव खोजा
9982555955
महेश खोजा S/o ओमारामजी
9928159977
फरीद सिद्दीकी
9785399518
हनुमान
7727077598
हरकाराम
9829885471
श्यामलाल रावल
9660513186
अमराराम
रामूराम
मघी सिहल
छोटूदास
keilash
[signature]
सुन्दर राम
[signature]
भागराम
बाबूलाल जांगिड़

कार्यालय ग्राम पंचायत भदाणा

पं.स. नागौर, जिला-नागौर (राज.)

श्रीमती चन्दा देवी
(सरपंच)

ग्राम.पो. भदाणा (बाना का)
जिला-नागौर (राज.)

RO RSPCB
05/02/2026

क्रमांक :

दिनाँक 5/2/2026

सेवामें

अपर जिला कलेक्टर महोदय,
जिला–नागौर (राज.)

विषय : अंबुजा सीमेन्ट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित चूना पत्थर खदान के संदर्भ में ग्रामों के सामाजिक विकास संबंधी सुझाव।

महोदय,

हम ग्राम पंचायत भदाना के गांव–पीथासिया के निवासी यह अवगत कराना चाहते है कि अबुंजा [redacted] लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित नागौर चूना पत्थर खदान से क्षेत्र के विकास की अच्छी संभावनाएँ है । इसके साथ साथ हम निम्नलिखित सामाजिक एवं आधारभूत अपेक्षाएँ रखते है ।

1. खनन वाहनों से गॉव की सडको को क्षति न पहुँचे, इसके लिए सडक मरम्मर एवं नियमित रखरखाव किया जाए ।
2. गॉवों मे धार्मिक आयोजन मे सहयोग करे ।
3. गॉवों मे सोलर स्ट्रीट लाईट लगाई जाये ।
4. गॉवो मे रात्रि सुरक्षा हेतु सोलर स्ट्रीट लाईट लगाई जाएँ ।
5. महिलाओं के लिए स्वरोजगार, शिक्षा एवं सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रम चलाए जाएँ ।
6. गॉवो मे अंतर्गत विघालय, पेयजल, स्वच्छता एवं अन्य सामाजिक विकास कार्यो में सहयोग किया जाए ।

यदि उपरोक्त बिन्दुओं पर उचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है तो यह परियोजना क्षेत्र के समग्र विकास में सहायक सिद्व होगी । इस आशा के साथ हम निवेदन करते है कि हमारी मांगो को स्वीकार कर उन्हें पूर्ण करने की कृपा करें । इस कार्य में हमारा सहयोग सदैव बना रहेगा ।

स्थान – हरिमा

दिनांक – 5/2/2026

चन्दा
प्रशासक
ग्राम पंचायत भदाणा
पं.स.नागौर

आवेदक समस्त ग्राम वासी भदाणा

RO RSPCB
05/01/2026

(25)

Date / /

54

सेवा में

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नागौर

विषय :-

(1) सुरजनियावास (ग्राम पंचायत गगवाना) ग्राम विकास में सम्मिलित किया जावे।

(2) घर-घर - आबादि व खेतो में टांका निर्माण करवाये।

(3) तालाबो का सौन्दर्यीकरण करवाया जावे।

(4) गाँव मे हाई मास्क लाइट लगाई जावे।

(5) स्कूल व आँगनवाड़ी का कार्य किया जावे।

(6) श्मसान भूमि जारो की मे टिन-सेड बाँऊड्री व गेट का निर्माण किया जावे।

(7) पार्क - खुरा - सी-सी रोड आदि कार्य करवाया जावे।

(8) सुरजनियावास से चामुण्डा 2 KM का सडक निर्माण करवाये

(9) सुरजनियावास से सोमणा तक 3 KM (ऊँडी वाला आम रास्ता) का सडक निर्माण करवायें।

(10) सुरजनियावास में सामुदायिक भवन व मन्दिर का निर्माण करवाया जावे। राधाकिशन

किशोरराम भगवानाराम अर्जुन
तुलछाराम रामलीवा उरजाराम
राधाकृष्ण शैतानराम
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] भीयांराम
ओमप्रकाश Ravindra
श्रीराम बाजया तेजाराम
[illegible]
रामप्रसाद
राजेन्द्र हरजीराम

Ro RSPCB
05/02/2016

(25)

Date / / सेवा मे

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नागोर

विषय :-
ग्राम सुरजनियावास को अम्बुजा सीमेंट कम्पनी के विकास कार्य मे सम्मलित करने हेतु मे खर्च समस्त CSR व CER के रूपये पूर्ण रूप से पंचायत हेतु करने

① - गगवाना पचायत (गगवाना, सुरजनियावास, खेतालाव) तीनो गाँवो को विकास कार्य में जोडा जावे।

② - सुरजनियावास मे सडक किनारे, खेल मैदान, श्मसान भूमि, व स्कूल विद्यालय मे पेड पौधो को लगवाया जावे।

③ - कृषि मे बूँद-बूंद सिचाई (ड्रीप परियोजना) व खेतो मे मेड तारबन्दी और डीग्गी निर्माण करवाया जावे।

④ - खेतो में रिन-सेड सहित टांका निर्माण करवाये।

⑤ - कृषि उपयोग मे ट्रेक्टर व कृषि यंत्रो में सब्सीडी दि जावे।

⑥ - सिंचित व असिचिंत मे फसल खराबा होने पर उचित मुआवजा दिलवाया जावे।

किशोरराम भगवानाराम अर्जुन
राधाकिशन रामजीवण तुलछाराम उरजाराम
राधाकिशन भीयाराम रामप्रसाद

ओमप्रकाश Ravindra मुताराम Rajendra

सहदेव तेजाराम हरजीराम

(1) सुरजनियावास व खतलाव गंगवाना तीनों
गांवों का बिज वितरण फ्री किया जावे

(2) सुरजनियावास व गंगवाना खतलाव कि काकड
सरहद है पंचायत गंगवाना है कम्पनी का बौल्डर
सुरजनियावास गंगवना कि जमीन से निकलता
अतः दोनो गांवों को कम्पनी के विकास कार्य में
समलीत किया जावे

Ro RSPCB 05/02/2026

कार्यालय ग्राम पंचायत भदाणा

पं.स. नागौर, जिला-नागौर (राज.)

श्रीमती चन्दा देवी
(सरपंच)

ग्राम.पो. भदाणा (बाना का)
जिला-नागौर (राज.)

क्रमांक :

दिनाँक 5/2/2026

सेवामे,

अपर जिला कलेक्टर महोदय
जिला - नागौर (राज.)

विषय: जनसुनवाई में विकास कार्य बाबत:

1) आज पिलासीया ग्राम पंचायत भदाणा का हिस्सा है। जनसुनवाई मे विकास कार्य का लेख हुआ उनमे. भदाणा को भविष्य में होने वाले CSR CER. के लिये सम्मलित किया जाय. क्योंकि आज पिलासीया ग्राम पंचायत भदाणा का हिस्सा

2) पिलासीया गाँव का हर किसान परिवार को बिजली होना चाहिये

3) पिलासीया के हर घर मे पानी का टंका बनाया जाये.

प्रशासक
ग्राम पंचायत भदाणा
पं.स.नागौर

कार्यालय ग्राम पंचायत भदाणा

पं.स. नागौर, जिला-नागौर (राज.)

श्रीमती चन्दा देवी
(सरपंच)

ग्राम.पो. भदाणा (बाना का)
जिला-नागौर (राज.)

क्रमांक :

दिनाँक 5/2/2026

पिपासिया ग्राम में योग्यता अनुसार हर घर मे एक नौकरी दी जावे।

पिपासीया ग्राम में एक बोरवेल करवाकर और R.O. प्लान्ट पानी का लगाकर हर घर पानी पहुचाया जावे

पिपासिया ग्राम हर गली मे स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था होनी चाहिए।

चन्दा

प्रशासक
ग्राम पंचायत भदाणा
. पं.स.नागौर .

R. RSPCB
05/01/2016

विकास नाथ 9521374849 (27)

खेल सामग्री

1) जूडो ड्रेस ⇒ 4
2) जूडो मेट ⇒ 10 गद्दे
3) ट्रेक शूट ⇒ 15
4) बैडमिंटन ⇒ 4 जोड़ी
5) बैटिंग मशीन ⇒ 1
6) शटल ⇒ 4 पैकेट
7) कुश्ती ड्रेस ⇒ 4
8) वॉलीवॉल बॉल और नेट

मैदान

1) 200 मीटर ट्रेक
2) खो-खो मैदान
3) कबड्डी मैदान
4) वॉलीवॉल मैदान
2) क्रिकेट किट

50 अबेकस किट
टीचर्स & लर्नर्स

लाईट फिटिंग (स्कूल)
जल मंदिर (प्याऊ)
पानी की मोटर

Ro RSPCB
05/02/2026

सेवा में,

प्रादेशिक अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
नागौर

विषय: अंबुजा सीमेंट लिमिटेड की जनसुनवाई हेतु ग्राम की प्रमुख माँगों के संदर्भ में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम **हरीमा** के ग्रामवासी, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना के संबंध में निम्नलिखित माँगें प्रस्तुत करते हैं। इन मांगों का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा, ग्रामवासियों के अधिकारों की सुरक्षा तथा स्थायी विकास सुनिश्चित करना है:

- 1. स्थानीय लोगों को प्राथमिकता से रोजगार: खनन, ट्रांसपोर्ट, सुरक्षा, सफाई आदि में गाँव के युवाओं को प्राथमिकता दी जाए ।
- 2. CSR (कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) से ग्राम विकास: स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षा सुविधा, पीने का पानी, सड़क और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाएँ। CSR के तहत हरीमा में निम्नलिखित कार्य करवाए जाए
- 3. पर्यावरणीय और भूजल सुरक्षा: खनन शुरू करने से पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए तथा गारंटी दी जाए कि जलस्तर, खेती और पशुपालन पर दुष्प्रभाव नहीं होगा।
- 4. पारदर्शी और समयबद्ध मुआवज़ा: प्रभावित परिवारों को उचित मुआवज़ा और वैकल्पिक जीविका के साधन उपलब्ध कराए जाएँ।
- 5. ग्राम निगरानी समिति का गठन: ग्राम स्तर पर एक समिति का गठन हो, जो खनन कार्यों पर निगरानी रखे तथा कंपनी के साथ नियमित संवाद में हो।
- 6. ग्रामसभा की सहमति अनिवार्य हो: परियोजना स्वीकृति से पूर्व ग्रामसभा की लिखित सहमति ली जाए और कंपनी हर वर्ष ग्रामसभा को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
- 7. ट्रक/वाहनों का नियंत्रण: भारी वाहनों की गति, संख्या और समय पर नियंत्रण रखा जाए ताकि गाँव की सुरक्षा बनी रहे।

अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त सभी माँगों को ध्यान में रखते हुए ही परियोजना को स्वीकृति दी जाए। ग्रामवासियों की सहमति के बिना कोई कार्य प्रारंभ न किया जाए।

भवदीय,
[ग्रामवासियों की ओर से]
[ग्राम का नाम]

5/2/2026

Manvendra Singh

जीत राम

रामअवतार

मोहनलाल

नारायण

राजपाल

जयराम

त्रिलोक

बजरंग नाथ

भगवान शर्मा पण्डित जी

शारदा

प्रेमसिंह

Vikesh

हरिकिशन

Ro RSPCB
08/01/2021

सेवा में

प्रादेशिक अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
नागौर (राज.)

विषय:- अम्बुजा सीमेन्ट की खनन परियोजना में निम्नलिखित मांगों को पुरा किया जाए

महोदय:- हम समस्त ग्राम वासी अम्बुजा सीमेन्ट से निम्नलिखित मांगे करते हैं, जिन्हें जल्द से जल्द पुरा किया जाए

(1) गाँव के सभी सरकारी विद्यालयों का विकास हो।
(2) रोड लाईट लगाई जाए।
(3) नाड़ी का सौन्दर्यीकरण किया जाए।
(4) सीवरेज लाईन को लेवल के अनुसार (ढलान) से लगायी जाए।
(5) हरित क्षेत्र विकसित किया जाए।
(6) ब्लास्टिंग को नियंत्रित किया जाए, तथा उससे होने वाले नुकसान की भरपाई की जाए।
(7) किसानों के खेतों में डिग्गी बनाई जाए।
(8) गवाड़ को विकसित किया जाए।

(9) किसानों को ड्रिप- [illegible] सिंचाई में सहायता दी जाए।

(10) शिक्षा क्षेत्र मे विकास के लिए एक 150 सीट की लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए।

(11) खेल क्षेत्र में विकास के लिए एक अत्यंत आधुनिक सुविधा युक्त खेल स्टेडियम का निर्माण हो। जिसमे सभी खेलों के मैदान व खेल सामग्री उपलब्ध हो।

(12) हमारी प्रमुख माँग यह है कि जैव विविधता का पूर्णतया संरक्षण हो।

(13) स्थानीय क्षेत्र के लोगो का प्रमुख व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन है इसलिए किसानो को बीज, उर्वरक व अन्य सुविधाएँ दी जाए। तथा पशुपालन के सम्बंध मे चारागाह क्षेत्र आंवटित किये जाए।

(14) आम आदमी की [illegible] मुलभुत आवश्यकताओ को पूर्ण किया जाए - (1) आय (2) शिक्षा (3) स्वास्थ्य (4) जल (5) [illegible] (5) आवास (6) जीवन-प्रत्याशा

(15) गाँव के मध्य सामुदायिक भवन का नवनिर्माण करवाये जाए

(16) स्थानीय विद्यालय जो कक्षा 8वी तक है उसे 12वी तक क्रमोनित करे। विद्यालय में (- जल मंदिर, कम्प्युटर लैब व सभी संकाय की व्यवस्था की जाए।

(17) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण हो।

(18) पशु चिकित्सा केन्द्र का निर्माण।

(19) स्थानीय लोगो को योग्यता के अनुसार रोजगार में प्राथमिकता दी जाए।

(20) वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए।

(21) औद्योगीकरण का विकास सतत पोषणीय विकास की

[illegible]

शिव साउण्ड मुण्डवा

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड
vedanta

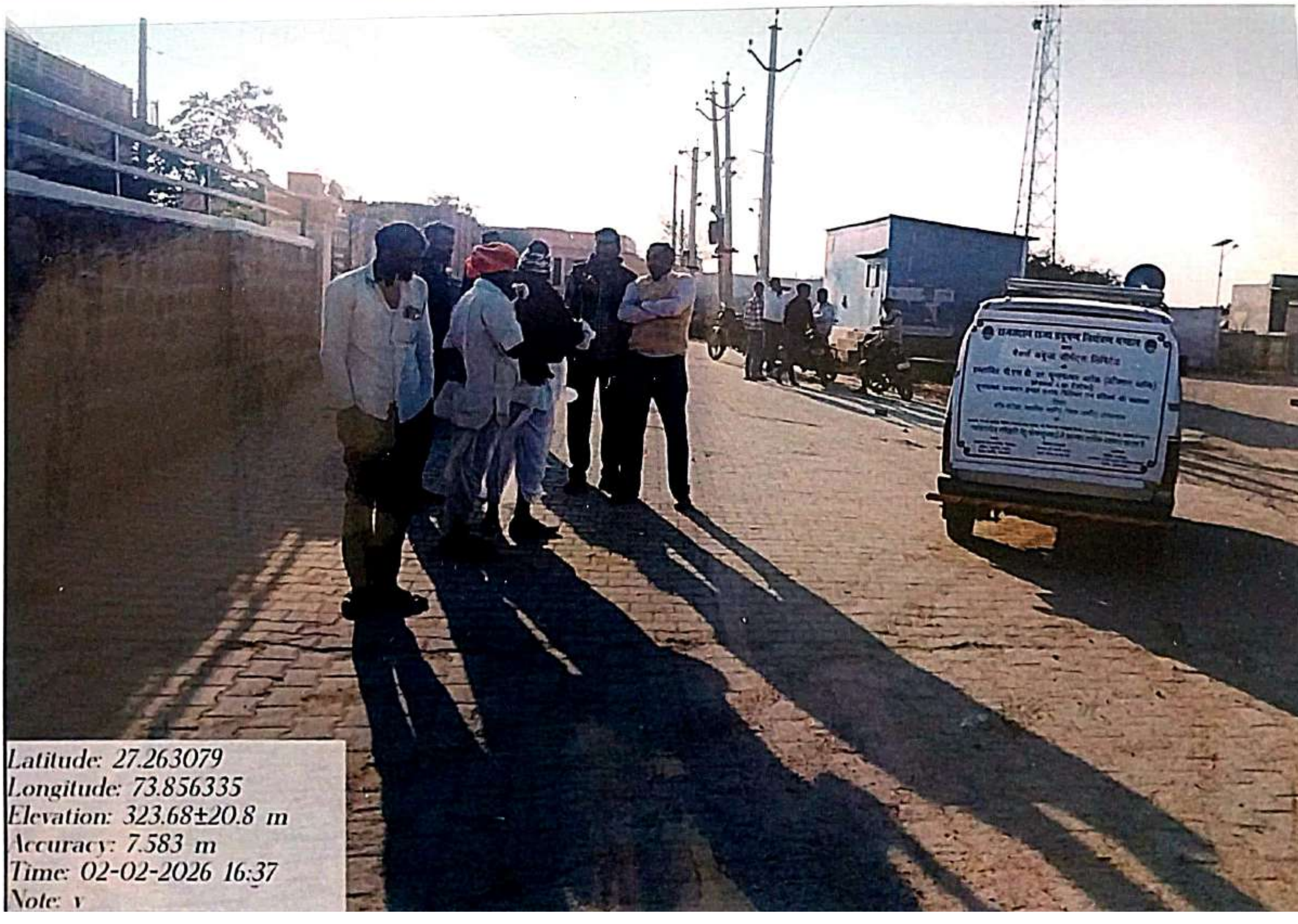
Latitude: 27.263079
Longitude: 73.856335
Elevation: 323.68±20.8 m
Accuracy: 7.583 m
Time: 02-02-2026 16:37
Note: v

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
द्वारा
मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड
की
प्रस्तावित पी.एस.बी. 02 चूनापत्थर ब्लॉक (ऑक्शन ब्लॉक)
(क्षेत्रफल: 4.8122 हैक्टेयर)
चूनापत्थर उत्पादन क्षमता 0.125 मिलियन टन प्रतिवर्ष की स्थापना
स्थित
गाँव: हरीमा, तहसील: नागौर, जिला: नागौर, राजस्थान
की
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात हुए संशोधनों के अंतर्गत)
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोकसुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत करता है
स्थान:
राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हरीमा, तहसील: नागौर, जिला: नागौर, राजस्थान
दिनांक एवं समय:
दिनांक: 05 फरवरी 2026
समय: दोपहर 12:00 बजे
आयोजक:
क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल नागौर, (राजस्थान)

उच्च प्राथमिक विद्यालय
जिला नागौर (राज.)
Latitude: 27.263229
Longitude: 73.856092
Elevation: 316.13±6.83 m
Accuracy: 8.698 m
Time: 02-02-2026 13:53
Note: v

शिव
शिव

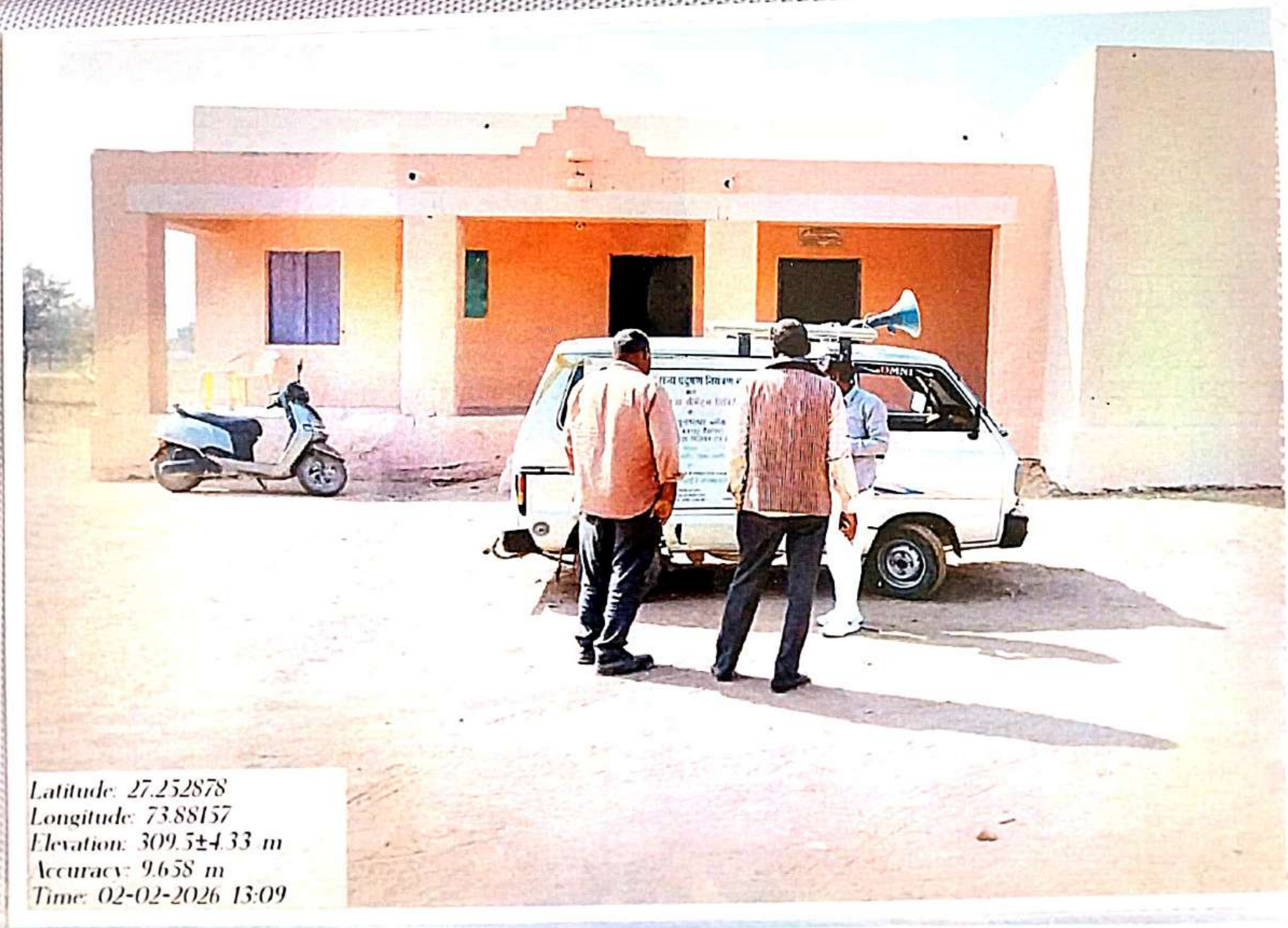
Latitude: 27.252878
Longitude: 73.88157
Elevation: 309.5±4.33 m
Accuracy: 9.658 m
Time: 02-02-2026 13:09

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय,
हरीमा, तहसीलः नागौर,
जिलाः नागौर, राजस्थान